खण्ड-428, अंक-8
शुक्रवार, 30 माघ, शक संवत् 1920
(19 फरवरी, 1999 ई0)

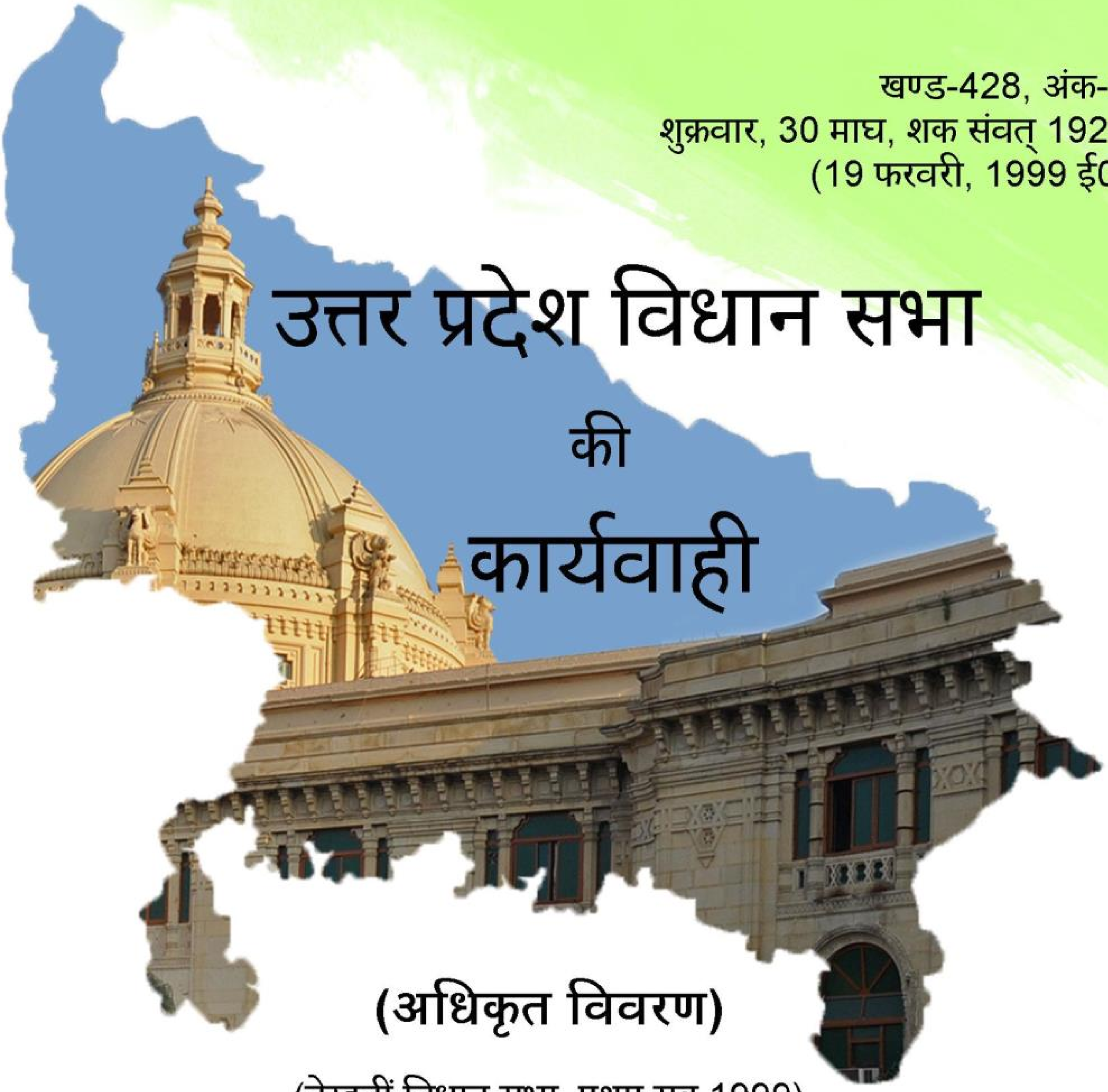

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 428 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
वित्तीय वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक	1
वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण की सूचना	1
वित्तीय वर्ष 1999–2000 का आय-व्ययक (क्रमागत)	1–32
प्रश्नकाल के समय बजट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	32–33
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	33
जनपद अम्बेडकर नगर की इल्तिफातगंज नगर पंचायत के मुख्य मार्ग को लेपन स्तर तक निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	33
विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा विद्युत परिषद के एसेसमेन्ट को रद्द किये जाने के प्रकरण की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	34
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	34–35
श्री अनीस खान, स० वि० स० को झूठे मुकदमें में फंसाये जाने एवं एन० एस० ए० में निरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	35-36
नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	36–47
सदन में कोरम के अभाव का प्रश्न	47
प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये कांटीनेंटल प्लोट ग्लास फैक्ट्री बरगढ़, जिला छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, को चालू करने का संकल्प (अस्वीकृत)	48–53
ऐतिहासिक पर्यटन नगरी आगरा में 24 घण्टे अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का संकल्प (चर्चा जारी)	53–54
जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में गोवर्धन जतीपुरा तथा राधाकुण्ड गांवों में लिये जा रहे, आवागमन कर तत्काल समाप्त किये जाने का संकल्प (संकल्प वापस होने का प्रस्ताव स्वीकृत)	54–57
प्रदेश में विकेन्द्रीकरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु जिला सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति और धनराशि खर्च करने की शक्ति उनमें निहित करने विषयक संकल्प (चर्चा जारी)	57
प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को कृषि कार्यों के लिये निःशुल्क विद्युत आपूर्ति करने विषयक संकल्प (चर्चा जारी)	57
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	57–58

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी, 1999

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरिमर्दन सिंह, श्री	महोबा
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक बाजपेई, डा०	हरदोई
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा
उदय राज यादव, श्री	उन्नाव
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर
काशीनाथ, श्री	सुल्तानपुर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
केशो मेहरा, श्री	आगरा
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कौशल किशोर, डा०	खीरी
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गोमती यादव, श्री	लखनऊ
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर (एडवोकेट), श्री	लखनऊ
चन्द्र नाथ सिंह, श्री	प्रतापगढ़
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जटा शंकर, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार, श्री	बहराइच
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप लाल भारती, श्री	पडरौना
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
नन्दराम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री	वाराणसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी

बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भीम प्रसाद सोनकर, श्री	अम्बेडकर नगर
भोनू, श्री	गाजीपुर
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
मुस्लिम, डा०	रायबरेली
मूल चन्द, श्री	बिजनौर
मोती लाल, श्री	खीरी
मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री	देवरिया
रंग बहादुर पटेल, श्री	इलाहाबाद
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रमेश राही, श्री	सीतापुर
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
रामजग, श्री	आजमगढ़
रामतेज यादव एडवोकेट,	बहराइच
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई,
रामपाल सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्यारे सिंह, श्री	आजमगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
रामाधार सिंह, श्री	हमीरपुर
रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री	मुरादाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
बहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनोद मणि, श्री	महराजगंज
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विश्वनाथ, श्री	पडरौना
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सरवर अली खां, श्री	बाराबंकी
सीता राम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

वित्तीय वर्ष 1999–2000 का आय-व्ययक

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, कृपया अपना बजट भाषण प्रस्तुत करें ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1999–2000 का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं ।

(प्रतियां वितरित की गई)

वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों को वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है––

''हां'' सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्यगण, तथा उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, अम्बेडकरनगर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, पडरौना, देवरिया, मऊ तथा आजमगढ़ ज़िलों के समस्त सदस्यगण और ''नहीं'' सभाकक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें ।

वित्तीय वर्ष 1999–2000 का आय-व्ययक (क्रमागत)

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1999–2000 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं । प्रदेश की 16 करोड़ से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले गौरवमयी सदन के सम्मुख लगातार दूसरी बार नियमित बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह आज आप नयी परम्परा क्यों चला रहे हैं ? यह दलित विरोधी सरकार है, इसलिये मैं और मेरा दल, इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता है।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य सदन का बहिष्कार कर चले गये)

(बजट भाषण जारी)

श्री कौकब हमीद–

सरकार ने जो नयी परम्परा डाली है,इसके विरोध में मैं और मेरा दल, सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री कौकब हमीद ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

(मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पढ़े जाने के मध्य)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह बजट किसान विरोधी है इसमें किसानों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। सरकार की कोई नीति नहीं है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसलिये मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, यह जो बजट है, यह जन विरोधी है, किसान विरोधी है। इसमें गरीबों के कल्याण के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री अखिलेश कुमार सिंह ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

कई वर्षों बाद यह अवसर आया है, जब माह फरवरी में नियमित बजट प्रस्तुत हो रहा है। यह प्रदेश का दुर्भाग्य ही रहा कि राजनैतिक अस्थिरता के कारण लेखा अनुदान से ही काम चलाया जाता रहा। नियमित बजट का अपना ही महत्व है। पूरे वर्ष के लिए नियोजन करके वर्ष-पर्यन्त कार्य करते हुए प्रदेश का विकास अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। टुकड़ों में तदर्थ आधार पर, अल्प अवधि के बजट और लेखा अनुदानों से न तो नियोजित नियोजन ही हो सकता है और न ही विकास को सही दिशा दी जा सकती है।

मान्यवर,

हमें कार्य-भार संभाले हुए लगभग एक वर्ष 5 माह ही हुए हैं तथा हमें प्राकृतिक विपदाओं एवं वित्तीय कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ा किन्तु इसके उपरान्त भी अल्प अवधि में हमने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। संक्षेप में, मैं यही कहूँगा कि **सामाजिक बिखराव और टकराव को समाप्त करते हुए अपराधियों को भय-ग्रस्त किया गया और जनता को भय-मुक्त।**

बिखरे-टूटे सिस्टम को ठीक कर पुनर्स्थापित करने और प्रशासन तंत्र के मनोबल को पुनर्जीवित कर सभी वर्गों के समग्र विकास को तेज गति प्रदान करके सरकार ने प्रदेश को एक नई दिशा प्रदान की है। **उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की यह हमारी ठोस शुरुआत है।**

श्रीमन्,

मैंने अपने पिछले बजट भाषण में सरकार की प्राथमिकताओं, प्रतिबद्धताओं, संकल्पों तथा कार्य-संस्कृति का विस्तार से उल्लेख किया था, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूँगा। यहां तो संक्षेप में **विकास की रणनीति** का उल्लेख करना चाहूँगा।

सुदृढ़ कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की भावना की नींव पर हम प्रदेश के समग्र विकास हेतु कृत संकल्प हैं। आर्थिक विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं विशेष रूप से "विद्युत" और "सड़क" की प्रगति के साथ हम "कृषि" व "उद्योग" का तीव्र गति से विकास करेंगे ताकि गांव-गरीब-किसान उन्नति कर सकें। बेरोजगारों को रोजगार और बेघर को घर हमारी

महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। समाज के दलित, पिछड़े, निर्धन, वंचित, अल्प संख्यक तथा विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए हम निरन्तर प्रयासरत रहेंगे। विशेष योजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए सरकार सतत् प्रयास करेगी।

वित्तीय अनुशासन हमारे विकास की रणनीति का मुख्य अंग है। जहां एक ओर तीव्र गति से विकास का लक्ष्य रखा गया है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय सुधार के उपायों से वित्तीय ढाँचे को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। वित्तीय संसाधनों में वृद्धि और विकास कार्यों में पूंजी निवेश हमारी आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए प्रथम आवश्यकता है। इसके लिए न केवल अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाया जा रहा है, वरन् महत्वपूर्ण सेक्टर्स में ढाँचागत सुधार तथा कार्यों का विकेन्द्रीकरण भी किया जायेगा ताकि निजी क्षेत्र एवं विभिन्न वित्तीय संस्थायें भी पूंजी निवेश के लिए आगे आयें। मैं इन बिन्दुओं को आगे विस्तार से प्रस्तुत करूंगा।

हमारे विकास की रणनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष अवस्थापना सुविधाओं और विकास कार्यों में निजी क्षेत्र के पूंजी-निवेश को बढ़ावा देना है। हमारी नवीं पंचवर्षीय योजना के कुल 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय में सरकारी परिव्यय का अंश 46 हजार 360 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र का पूंजी विनियोजन 1 लाख 39 हजार 640 करोड़ रुपये है। **हमें अपने सरकारी व्यय को इस प्रकार नियोजित करना होगा जिससे निजी पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन मिले।** सरकारी क्षेत्र में किये गये विनियोग का कम से कम 5 गुना निजी क्षेत्र का पूंजी विनियोजन हो, यह हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में सरकार द्वारा सक्रिय कार्रवाई की जा रही है तथा शासन के प्रत्येक विभाग में **''नीति निर्धारण प्रकोष्ठ''** स्थापित किया गया है जो विभागीय गतिविधियों में निजी क्षेत्र के पूंजी-निवेश की सम्भावनाओं का चिन्हांकन कर उनमें निजी क्षेत्र से पूंजी विनियोजन कराये जाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं।

मान्यवर,

मेरा यह मानना है कि प्रदेश के पिछड़े होने का एक प्रमुख कारण यह भी रहा है कि हमारा **नियोजन अनियोजित** रहा है। समय-समय पर तत्कालीन सरकारों ने न केवल तदर्थ आधार पर निर्णय लिए वरन् किसी एक सरकार के बदलने के साथ ही निर्णय भी बदल दिये गये। परिणामस्वरूप विकास कार्यों में निरन्तरता का अभाव रहा और विकास को सही दिशा और अपेक्षित गति नहीं मिल सकी।

हमारी सरकार ने अल्प व मध्यम काल के साथ-साथ दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखते हुए विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ''नीतियों'' का प्रतिपादन किया है ताकि विकास को सही दिशा और स्थायित्व मिल सके।

हमने मार्ग विकास नीति, उद्योग नीति, निर्यात नीति, पर्यटन नीति, वन नीति तथा खनिज नीति तैयार कर उन्हें लागू कर दिया है।

हम शीघ्र ही कृषि नीति, जल नीति, ऊर्जा नीति, फिल्म नीति तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति तैयार कर लेंगे। अगले चरण में जनसंख्या नियंत्रण नीति, शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति का प्रतिपादन किया जायेगा।

हमने इस बात पर विशेष बल दिया है कि जो नीतियाँ तैयार की गयी हैं उनके क्रियान्वयन के लिए **''कार्य-योजना''** तैयार करके आवश्यक शासनादेश आदि निर्गत हो जायें। इस हेतु प्रत्येक वर्ष के लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं। नीतियों के क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक त्रैमास मंत्रि-परिषद् की **''आर्थिक विकास उप समिति''** भी नीतियों के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। हमने जो नीतियाँ अभी तक तैयार की हैं उनके मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख मैं आगे करूँगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

कानून-व्यवस्था को पुनर्स्थापित कर हमने अर्थ, वित्त और नियोजन के सिद्धान्तों पर चलते हुए अल्प अवधि में ही बहुत सी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं और अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इनमें से उदाहरण-स्वरूप कुछ की ओर मैं माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।

शासन की प्रमुख उपलब्धियाँ

- लखनऊ में दशकों से चले आ रहे **शिया-सुन्नी विवाद** को मेरी सरकार ने सियासी नजरिये के स्थान पर मानवीय दृष्टिकोण से देखा तथा इसका समाधान करके प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द के सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यह ऐतिहासिक कार्य दोनों पक्षों के परस्पर विचार-विमर्श एवं पूर्ण सहयोग से ही सम्भव हो सका, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं।
- प्रदेश में माफियाओं एवं संगठित अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को और प्रभावी बनाने हेतु **विशेष टास्क फोर्स** का गठन किया गया। टास्क फोर्स द्वारा की गयी कार्रवाई के बड़े उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके अन्तर्गत **अन्तर्राज्यीय गिरोहों तथा माफियाओं का** चिन्हीकरण करके उनके **विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई** की गयी। इससे भयमुक्त वातावरण के सृजन में सरकार को सफलता मिली है।
- वर्ष 1998-99 की **वार्षिक योजना का 70 प्रतिशत अंश कृषि एवं ग्रामीण विकास** पर व्यय किया जा रहा है।
- **इस वर्ष गेहूँ के बीज** के लिए किसानों को **25 प्रतिशत अनुदान** दिया गया।
- गन्ना-किसानों के लाभ हेतु इस वर्ष प्रदेश में **5 नई चीनी मिलें** स्थापित की गयीं।
- गन्ना-किसानों के हितार्थ अगैती गन्ना प्रजातियों के लिए 85 रुपये तथा सामान्य प्रजातियों के लिए 80 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया। इससे **गन्ना किसानों को 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त** प्राप्त होंगे।
- प्रदेश के समस्त 2 करोड़ 41 लाख 25 हजार 262 किसानों को **किसान बहियाँ** उपलब्ध करा दी गयीं हैं।
- **किसानों को** 835.71 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण, 917 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण तथा 451.65 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण का वितरण इस वर्ष में किया गया।
- इस वर्ष **660 करोड़ रुपये लागत की 4 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण** किया जा रहा है। वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से **1 लाख 35 हजार हैक्टेयर** तथा निजी **लघु सिंचाई के माध्यम से 3 लाख 42 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता** सृजित की जा रही है।
- दुरूह इलाकों में **नलकूप निर्माण के लिए अधिकतम एक लाख रुपये के अनुदान** की योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 500 नलकूपों का निर्माण किया जायेगा। अभी तक 176 नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है।
- श्रमपरक योजनाओं के माध्यम से **651 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में** अवस्थापनाओं को सुदृढ़ करते हुए 8 करोड़ 3 लाख 87 हजार मानव दिवस के रोजगार सृजित किये गये।
- **एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत 2 लाख 11 हजार 249 गरीब परिवारों को ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया। इससे ये परिवार स्वतः रोजगार में प्रवृत्त हुए।

- ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष **1 लाख 19 हजार 207 नये इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प** लगाये गये हैं तथा 18,564 हैण्ड पम्प री-बोर कर चालू किये गये हैं।
- इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में **इन्दिरा आवास योजना** के अन्तर्गत आवासीय स्थल पर ही आवास निर्माण की अनुमन्यता के अधीन 61 हजार 900 से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं।
- दुग्ध विकास विभाग की **सघन मिनी डेयरी परियोजना** एवं **महिला डेयरी परियोजना** के अन्तर्गत इस वर्ष 18 हजार 922 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उच्च आनुवंशिक प्रजातियों के कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 23 प्रतिशत किये जाने का मेरी सरकार का लक्ष्य है। इस हेतु पहली बार **उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद्** का गठन किया गया है।
- गो-संवर्धन, गो-रक्षा तथा गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु प्रदेश में पहली बार **"गो-सेवा आयोग"** की स्थापना की गयी है।
- सरकार ने **राजकीय सेवा में भर्ती की निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रणाली लागू की है।** इस प्रणाली में यह व्यवस्था की गयी है कि साक्षात्कार अर्थात् Interview का महत्व न्यून कर दिया जाये तथा अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता व वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के आधार पर उसे अंक प्रदान कर मेरिट सूची बनायी जाये। इस प्रणाली में चयन हेतु शैक्षिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर अंक निर्धारित किये गये जिनका आंकलन अभ्यर्थी स्वयं कर सकता है। वस्तु-निष्ठ लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति दी गयी। सम्बन्धित विभाग के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर सही उत्तरों को प्रदर्शित किया गया ताकि अभ्यर्थी उत्तर-पत्र की कार्बन प्रति के आधार पर अपनी लिखित परीक्षा के अंकों को स्वयं ज्ञात कर सके।

श्रीमन्,

यह भर्ती प्रणाली चयन में पारदर्शिता लाने का एक अभिनव प्रयोग है। उत्तर प्रदेश को अनुकरणीय उदाहरण के रूप में लेकर अन्य प्रदेशों द्वारा भी इसे अपनाये जाने के सम्बन्ध में सरकार से जानकारी चाही गयी है। यही नहीं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने भी अपने एक निर्णय में इस प्रणाली की प्रशंसा की है।

- इस वर्ष **एक हजार किलोमीटर नहर सेवा मार्गों को पक्का** किया जा रहा है तथा **2900 ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जा रहा है।**
- सरकार द्वारा सड़कों के रख-रखाव, मरम्मत एवं **उन्हें गड्ढा मुक्त करने की योजना** के अन्तर्गत 7078 किलोमीटर के राज मार्गों, 17 हजार किलोमीटर अन्य जिला मार्गों तथा 3375 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्गों को गड्ढा मुक्त किया गया।
- उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा चालू वर्ष में **215 करोड़ रुपये व्यय करके 55 सेतुओं का** निर्माण किया जा रहा है।
- विद्युत चोरी रोकने हेतु अवैध विद्युत कनेक्शनों को विनियमित किये जाने के अन्तर्गत **"कटिया हटाओ कनेक्शन लगाओ"** का सघन अभियान चलाकर 12 लाख विद्युत कनेक्शनों को विनियमित किया जा चुका है।
- अवस्थापना सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के उद्देश्य से 10 करोड़ रुपये से **"इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव फण्ड"** बनाया गया है।

- उद्योगों को लगाने के लिए वर्ष 1998–99 में प्रदेश के लिए कुल 247 इच्छा-पत्र तथा 14 आशय-पत्र प्राप्त हुए जिनमें लगभग 3500 करोड़ रुपये का निवेश निहित है। वर्ष 1998 में **भारत में निवेश हेतु दाखिल आशय-पत्रों तथा इच्छा-पत्रों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरा है।** वर्ष 1997–98 में प्रदेश का स्थान देश में चौथा था।
- इस वर्ष **अनिवासी भारतीयों** (NRI) से भी औद्योगिक इकाई लगाने के 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें 77.33 करोड़ रुपये का विदेशी पूंजी-निवेश प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सीधे विदेशी निवेश हेतु 275 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें 27 हजार 292 करोड़ रुपये विदेशी पूंजी-निवेश प्रस्तावित है। इसी प्रकार 211 विदेशी तकनीकी सहयोग के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।
- उद्यमियों को प्रदेश में नया वातावरण प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से जिला उद्योग केन्द्रों में 1 जनवरी, 1999 से **एक मेज पर एक छत के नीचे** (सिंगिल टेबिल अण्डर वन रूफ) योजना के अन्तर्गत एक स्थान पर ही उद्यमियों को समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र, स्वीकृतियाँ आदि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था से उद्यमियों को विभिन्न विभागों से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा एक ही स्थान पर उन्हें समस्त स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जायेंगी। **इसमें विशेष व्यवस्था यह भी है कि यदि कार्यकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत स्वीकृतियाँ नहीं प्रदान की जाती हैं तो स्वीकृतियाँ स्वयं मिली हुई मान ली जायेंगी।**
- प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक **फिल्म की शूटिंग** किये जाने पर छः माह के लिए 50 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत से अधिक फिल्म की शूटिंग किये जाने पर एक वर्ष के लिए शत प्रतिशत **मनोरंजन कर से छूट** प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन से पर्यटक स्थलों के प्रचार-प्रसार का लाभ होगा और पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि होगी। **प्रदेश सरकार ने पर्यटन को प्रदेश के आर्थिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चयनित किया है।**
- हमारी सरकार द्वारा आगरा, नोएडा, देहरादून, वाराणसी और लखनऊ में **5 नये सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्कों** की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इलाहाबाद और कानपुर में **इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नॉलॉजी** की स्थापना की कार्रवाई भी की जा रही है।
- पर्यटन विकास में निजी उद्यमियों की सहायता के लिए दो उपादान योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं। इनमें से एक योजना **"हैरिटेज होटल"** के विकास के लिए तथा दूसरी पर्यटन इकाईयों की स्थापना के लिए है।
- इलाहाबाद में **राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय** की स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना से पत्राचार कोर्स के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण की जा सकेगी और महाविद्यालयों में प्रवेश की समस्या भी काफी सीमा तक दूर होगी।
- इस वर्ष **राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम** के अन्तर्गत मोतियाबिन्द से पीड़ित 4,19,865 व्यक्तियों के आंखों के आपरेशन किये गये।
- चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों में सुधार और उनमें एकरूपता लाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने लखनऊ में **"धनवन्तरि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय"** की स्थापना का निर्णय लिया है। इसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग आदि सभी विधाओं के संकाय होंगे।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के विकास हेतु **स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान** तथा ट्राइबल सब-प्लान के लिए 1998–99 में 2197 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया, जो कुल परिव्यय का 21.4 प्रतिशत है। यह सुनिश्चित किया गया है कि इस मात्राकृत धनराशि का किसी भी दशा में

डाइवर्जन न हो तथा यह धनराशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के विकास एवं कल्याण हेतु अनिवार्य रूप से व्यय की जाये।

- इस वर्ष अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए चलाये जा रहे 313 प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए एक मुश्त 4 करोड़ 95 लाख 55 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- अनुसूचित जाति एवं विमुक्ति जाति के छात्रों के कल्याण के लिए संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रावासों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में रहने वाले छात्रों के भरण-पोषण की दर 200 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है।
- प्रदेश सरकार ने **होमगार्ड** के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना लागू की है, जिसके अन्तर्गत ड्यूटी के समय दुर्घटना के फलस्वरूप मृत होने पर उनके आश्रितों को 25 हजार रुपये की धनराशि बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी जाती थी। अब इस धनराशि को बढ़ाकर 53 हजार रुपये कर दिया गया है।
- कारागार विभाग में बन्दी रक्षकों के पदों पर होमगार्ड के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।
- **स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को** 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- **ग्राम चौकीदारों** का पारिश्रमिक 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह किया गया है।
- उत्तर प्रदेश के वकीलों के सम्बन्ध में कई वर्षों से लम्बित विषय पर निर्णय लेकर **अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन अध्यादेश** निर्गत किया गया है जिसके अन्तर्गत वकीलों को अनेक सुविधायें दी गयी हैं।
- प्रदेश सरकार द्वारा अपने वायदे के अनुसार प्रदेश के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को प्रथम बार अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के लिए **"विधायक निधि"** की स्थापना की गयी है। प्रथम किश्त के रूप में इस वर्ष 25 लाख रुपये प्रति सदस्य धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।
- प्रदेश में **विकास कार्यक्रमों** का प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराया जा रहा है तथा ग्राम स्तर, विकास खण्ड स्तर और जिला स्तर पर कराये गये विकास कार्यों की सूचियाँ प्रकाशित करके पारदर्शिता लायी जा रही है। **स्थलीय सत्यापन** कराये जाने का अभियान युद्ध स्तर पर प्रारम्भ किया गया है, जिससे फर्जी रिपोर्टिंग, त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग तथा अग्रिम रिपोर्टिंग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है।
- पिछले वर्ष सरकार द्वारा **"सिटीजन्स चार्टर"** निर्गत कराने का वायदा किया गया था। अभी तक दो विभागों — खाद्य एवं रसद तथा परिवहन में इसे तैयार कर लागू कर दिया गया है तथा 7 अन्य विभागों द्वारा सिटीजन्स चार्टर तैयार कर लिये गये हैं जिन्हें शीघ्र लागू किया जायेगा।
- हमारी सरकार द्वारा **सूचना के अधिकार** को लागू करने की कार्रवाई की जा रही है।
- हमारी सरकार राजस्व अभिलेखों में भ्रष्टाचार को दूर करने और किसानों तथा गांवों में रहने वाले नागरिकों को राजस्व अभिलेखों को सरलता से उपलब्ध कराने हेतु राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण को महत्व दे रही है। इस योजना के माध्यम से 66 जनपदों में खतौनी के कम्प्यूटरीकरण का कार्य चल रहा है। इसे इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है। इससे **तहसील स्तर पर खतौनी की नकल कम्प्यूटर के माध्यम से काश्तकारों को उपलब्ध करायी जा सकेगी।**

- सरकार द्वारा **नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने के लिए कई रियायतों के साथ आकर्षक नीति** की घोषणा की गयी है। फ्री-होल्ड कराने की दरों में भारी कमी करते हुए सभी प्रकार की दण्डात्मक दरों को समाप्त कर दिया गया है। नजूल भूमि के आंशिक भाग को फ्री-होल्ड कराने तथा पट्टेदार द्वारा नामित किसी व्यक्ति के पक्ष में फ्री-होल्ड कराने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।
- गृह-कर, जल-कर आदि के निर्धारण हेतु प्रदेश के 12 नगर निगमों में **स्वतः कर निर्धारण प्रणाली** (Self Assessment Scheme) लागू की जा रही है। इससे गृह-कर आदि का निर्धारण कर-दाता स्वयं कर सकेंगे और उन्हें इंसपेक्टर आदि के झंझट से मुक्ति मिल जायेगी तथा एक सरल पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ प्रणाली से कर-निर्धारण हो सकेगा।
- 11 बड़े महानगरों में विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम चलाने के लिए पहली बार वर्ष 1998-99 में 20 करोड़ रुपये के **"रिवाल्विंग फण्ड"** की स्थापना की गयी है।
- प्रदेश के नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने, संसाधनों में अभिवृद्धि करने तथा स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु धन की कमी को पूरा करने के लिए **"नगरीय अवस्थापना विकास विधि"** की स्थापना की गयी है।
- विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् द्वारा नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने हेतु **"अवस्थापना विकास खाता"** का सृजन किया गया है जिसमें इन अभिकरणों की कतिपय स्रोतों से आय का एक निर्धारित अंश जमा किया जा रहा है। दिसम्बर, 1998 तक उक्त खाते में 24.63 करोड़ रुपये जमा किये गये जिसमें से 12.05 करोड़ विभिन्न अवस्थापना विकास कार्यों पर व्यय किये गये।
- हमारी सरकार द्वारा सबके लिए आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत **आश्रय योजना** में गरीबी की रेखा से नीचे निर्धनतम् वर्ग के व्यक्तियों के लिए उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार 5, 10, व 15 रुपये प्रतिदिन के भुगतान पर आश्रय उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 1998 तक 1507। आश्रय उपलब्ध कराये गये। **भाउराव देवरस योजना** में लघु मध्यम आय वर्ग के लिए स्व-वित्त पोषित आधार पर लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये तक के आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1998 तक 8606 आवास उपलब्ध कराये गये।
- **भू-माफियाओं द्वारा नगरीय भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को हटाने** के लिए प्रदेश के सभी बड़े शहरों में वृहद अभियान चलाये गये। दिसम्बर, 1998 तक विभिन्न शहरों में कुल 872 हेक्टेअर भूमि मुक्त करायी गयी जिसका मूल्य 130.34 करोड़ रुपये है। इसमें से 43.8 करोड़ रुपये की भूमि विक्रय की जा चुकी है।
- **खेलों को बढ़ावा** देने की प्रदेश सरकार की नीति के फलस्वरूप प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। वर्ष 1998-99 में प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 37 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक तथा 33 कांस्य पदक अर्जित किये तथा दिसम्बर, 1998 में बैंकाक में आयोजित एशियाई खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 5 रजत पदक एवं 3 कांस्य पदक प्राप्त किये।
- इस वर्ष प्रदेश को भीषण बाढ़ और भू-स्खलन का सामना करना पड़ा। प्रदेश के 55 जिले बाढ़ व भू-स्खलन से प्रभावित हुए। बाढ़ और भू-स्खलन से कुल 1280 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। प्रत्येक कमाऊ मृतक के परिवार को 50 हजार रुपये तथा अन्य प्रत्येक मृतक के परिवार को 25 हजार रुपये की सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त वृहद पैमाने पर राहत सहायता उपलब्ध करायी गयी।

प्रत्येक परिवार को दी गयी यह सहायता पूर्व में आयी किसी भी वर्ष की बाढ़ में उपलब्ध करायी गयी राहत से कई गुना अधिक है।

कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियन्त्रण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब मैं प्रदेश की कानून-व्यवस्था और अपराध-नियंत्रण की स्थिति सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

यह सम्मानित सदन अवगत है कि चुस्त-दुरुस्त कानून-व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। **भयमुक्त वातावरण** में सुरक्षित जीवन व्यतीत करना हम प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार मानते हैं। इस अधिकार की रक्षा करना हम सरकार का सर्वोपरि दायित्व मानते हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस दायित्व का निर्वहन हमने सियासी नज़रिये से हटकर किया है। इस दायित्व के पालन में हमने राजनीति को कभी आड़े नहीं आने दिया।

यही कारण है कि हम प्रदेश में **सामाजिक समरसता** की किश्ती को जातिवाद के भवर से उबार सके हैं और प्रदेश में पुनः **साम्प्रदायिक सौहार्द** स्थापित करने में सफल हुए हैं। मुझे खुशी है कि हम प्रदेश को जातीय एवं साम्प्रदायिक दंगों की विभीषिका से मुक्त करने में कामयाब हुए हैं। इस प्रदेश की महान जनता तथा आप सबके सहयोग से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को **"वसुधैव कुटुम्बकम्"** की परिकल्पना के अनुरूप एक ममतामय परिवार के रूप में स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। **लखनऊ में दशकों से चले आ रहे शिया-सुन्नी विवाद का समाधान तथा इसमें सभी पक्षों द्वारा दिया गया अभूतपूर्व सहयोग, हमारी नियत एवं नीति का अकाट्य प्रमाण है।**

चुस्त-दुरुस्त कानून-व्यवस्था एवं प्रभावी अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस में ऊंचा मनोबल, अनुशासन तथा कार्य-कुशलता नितान्त आवश्यक है। अतः हमारी सरकार द्वारा योग्यता के आधार पर ही संवेदनशील पदों पर तैनाती की नीति अपनायी गयी है। **कुशल नेतृत्व तथा जवाबदेही पर विशेष बल दिया गया है।** साथ ही पुलिस कर्मियों की आवास व्यवस्था, अन्य आवश्यकताओं तथा प्रशिक्षण हेतु भी बजट में यथेष्ठ प्राविधान किये गये हैं।

मान्यवर,

आज के युग में अपराध नियंत्रण के लिए **पुलिस का आधुनिकीकरण** किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार इस दिशा में विशेष कदम उठा रही है। आपको जानकर हर्ष होगा कि कतिपय स्थानों पर अपराध-वार कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण प्रणाली तथा कण्ट्रोल रूम में सूचना मिलने पर मिनटों में पुलिस पहुंचने की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। **दूरभाष पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयोग भी शीघ्र आरम्भ किया जायेगा।** पुलिस तंत्र को आधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों से सुसज्जित करने तथा कम्प्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली विकसित करने हेतु पर्याप्त धनराशि आगामी वर्ष में उपलब्ध करायी जायेगी।

हमारी यह मान्यता है कि पुलिस के प्रति नागरिकों का विश्वास ही पुलिस बल की सफलता की वास्तविक कसौटी है। यह तभी सम्भव है जब अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो तथा पुलिस एवं जनता सहभागी बनकर कार्य करें। अतः हमारी सरकार ने प्रदेश में **कम्युनिटी पुलिसिंग** की सुदृढ़ व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इससे पुलिस वास्तविक रूप से समाज के अंग के रूप में कार्य कर सकेगी और साथ ही जनता के सहयोग से अधिक प्रभावी रूप में अपराध नियंत्रण कर सकेगी। इस कार्य में नागरिक सुरक्षा संगठन का भी सहयोग लिया जायेगा।

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या

उत्तर प्रदेश देश की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। वर्तमान में प्रदेश की जनसंख्या 16 करोड़ से भी अधिक है। प्रति मिनट 10-11 बच्चे, प्रति घंटे 624 बच्चे; प्रतिदिन 14976 बच्चे तथा प्रति वर्ष 54 लाख 50 हजार बच्चे हमारे प्रदेश की आबादी में और जुड़ जाते हैं। यदि प्रदेश की जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो सन् 2020 में यह दुगुनी हो जायेगी।

हमारे विकास के लिए किये गये कोई भी प्रयत्न तब तक कारगर नहीं हो सकते जब तक हम बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित न करें। बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदेश के विकास हेतु किये जा रहे प्रयत्नों को निष्फल (Neutralise) कर देती है।

मेरा यह मानना है कि हमारे प्रदेश में **''शिशु-मृत्यु दर'** का अधिक होना **''जन्म-दर''** के अधिक होने का प्रमुख कारण है। दूसरा कारण **''साक्षरता-दर''** का कम होना है। हमें प्रदेश की जन्म-दर को घटाने के लिए साक्षरता-दर को बढ़ाना होगा और शिशु-मृत्यु दर को कम करना होगा। जन्म दर को घटाकर ही हम **''विकास दर''** में वृद्धि कर सकेंगे। ''विकास-दर'' के बढ़ने से ही **''रोजगार दर''** में वृद्धि होती है। विकास-दर और रोजगार-दर में वृद्धि करके हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे सकेंगे जिससे शिशु मृत्यु-दर तथा जन्म-दर में और कमी ला सकें। इस प्रकार शिशु मृत्यु-दर, जन्म-दर, साक्षरता-दर, विकास-दर तथा रोजगार-दर ये सभी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे हम इन दरों को अपने पक्ष में करके जनसंख्या को नियंत्रित कर तेजी से विकास कर सकें।

श्रीमन्,

मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि हम सभी मिलकर बढ़ती हुई जनसंख्या के विकराल रूप पर गम्भीरता से विचार करें। यह विषय हमारे प्रदेश के विकास और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि हमने समय से सही दिशा में प्रयत्न नहीं किये तो हमें आगे की पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी।

प्रदेश की जनसंख्या विस्फोट के इस महत्वपूर्ण विषय को हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना होगा। इस समस्या का सामना सबको मिलकर करना होगा। चाहे किसी राजनैतिक दल की सरकार रहे हमें जनसंख्या की समस्या का समाधान एकमत होकर करना होगा। **जनसंख्या नियंत्रण को वर्ष 1999-2000 के लिए सरकार ने उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है और मैं सभी दलों के सम्मानित सदस्यों से इसे सफल बनाने के लिए सहयोग और योगदान का अनुरोध करता हूँ।**

जनसंख्या नियंत्रण केवल सरकार का ही कार्यक्रम नहीं है अपितु इसमें सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभागों के साथ-साथ स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, जन-प्रतिनिधियों, पंचायतों, शिक्षकों आदि की भागीदारी से इसे जन आन्दोलन का स्वरूप देना होगा तभी हम इस जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति से उबर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हमारी सरकार जनसंख्या में वृद्धि की समस्या के प्रति बहुत चिन्तित और सजग है। इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेश की **''जनसंख्या नियंत्रण नीति''** तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस नीति को तैयार करने में मैं, सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करता हूँ। आपसे प्राप्त बहुमूल्य सुझावों का हम स्वागत करेंगे।

सम्पूर्ण साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा

मान्यवर,

मेरा यह मानना है कि एक साक्षर व्यक्ति ही अपना स्वयं का, अपने परिवार का और समाज का विकास कर सकता है और साक्षरता बढ़ने से ही प्रदेश का विकास होगा।

1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में केवल 41.6 प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर है, जबकि केरल में 89.8 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 64 प्रतिशत तथा कर्नाटक में 56 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। राष्ट्रीय साक्षरता दर 52.88 प्रतिशत के विपरीत भी उत्तर प्रदेश की साक्षरता बहुत कम है।

उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर केवल 25.3 प्रतिशत है, अर्थात् हमारे प्रदेश की 75 प्रतिशत महिलायें निरक्षर हैं। हमारे प्रदेश में 77 जनपद ऐसे हैं जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है।

हमारी सरकार द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र को वर्ष 1999-2000 में विशेष प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए जन-सहभागिता के आधार पर व्यापक स्तर पर प्रयत्न किये जायेंगे।

प्रदेश के 33 जनपदों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान पूर्ण हो चुके हैं। 1999-2000 में इन 33 जनपदों में साक्षरता अभियान के परिणामों की गुणवत्ता के सत्यापन के साथ-साथ शेष 50 जनपदों में भी सम्पूर्ण साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए भागीरथी प्रयास किये जायेंगे।

आगामी वर्ष में जिला साक्षरता समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में एक वृहद अभियान संचालित किया जायेगा और सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम को जन-आन्दोलन का रूप दिया जायेगा। हमारा यह विशेष प्रयास होगा कि साक्षरता अभियान में अधिक से अधिक महिलाओं का नामांकन हो।

सम्पूर्ण साक्षरता के माध्यम से साक्षरता में वृद्धि को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सभी बालक-बालिकाओं को **प्राथमिक शिक्षा** उपलब्ध कराना भी अति आवश्यक है। हमारे प्रदेश के 3 करोड़ 35 लाख बच्चों में से 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को ही हम प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा पा रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि "**सभी के लिए शिक्षा परियोजना**" कार्यक्रम के अन्तर्गत 1999-2000 में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन में अभियान के रूप में प्रयास करके अधिकाधिक वृद्धि की जाये।

विश्व बैंक से वित्त पोषित "सभी के लिए शिक्षा परियोजना" जो अभी तक 35 जनपदों में क्रियान्वित हो रही है, को अगले वर्ष से 42 और जनपदों में, इस प्रकार कुल 77 जनपदों में संचालित करने का निर्णय लिया है। इन 42 नये शामिल जनपदों में योजना के क्रियान्वयन पर 1100 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।

वर्ष 1999-2000 में अधिकाधिक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए "**शिक्षा गारण्टी योजना**" प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत यदि गांव या मजरे में 30 बच्चे पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं और वहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो ऐसे स्थान पर ग्राम शिक्षा समिति को यह अधिकार प्रदान किया जायेगा कि निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले गांव के ही किसी व्यक्ति को निश्चित मानदेय पर शिक्षक नियुक्त कर ले। शिक्षक के मानदेय का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के साथ-साथ बच्चों के **ड्राप आउट की दर** हमारे लिए विशेष चिन्ता का विषय है। वर्ष 1998-99 में मानक के अनुसार हर बच्चे को 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध करा दिया गया है। विद्यालयों में बच्चों के ठहराव में वृद्धि करने के लिए विद्यालयों के परिवेश को आकर्षक बनाना तथा आवश्यक भौतिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार विशेष प्रयत्न कर रही है। शासन द्वारा 13634 विद्यालयों में शौचालयों तथा 26603 विद्यालयों में हैण्ड पम्पों एवं चहार दिवारी की व्यवस्था करायी गयी है। 16287 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया गया है। 1999-2000 में इन सुविधाओं का और विस्तार किया जायेगा।

हमारी सरकार साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा के संतृप्तीकरण को अपना प्राथमिक दायित्व मानती है और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत् प्रयास हेतु कटिबद्ध है।

महिला कल्याण को विशेष प्राथमिकता

श्रीमन्,

मेरा यह मानना है कि हमने पिछले 50 वर्षों में समाज के आधे हिस्से महिला वर्ग के विकास की ओर अपेक्षित ध्यान न देकर माताओं, बहनों, गृहणियों और बालिकाओं के साथ न्याय नहीं किया है। हमें यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि महिलाओं के कल्याण और उनके विकास के बिना हम अपने परिवार, समाज और प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं।

वर्तमान सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कृत-संकल्प है और इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

वर्ष 1998-99 में महिला कल्याण के लिए किये गये कतिपय कार्यों को मैं माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- **पति की मृत्यु पर विधवा को जमीन का हक दिलाने का हमारी सरकार का वायदा था जिसे पूरा कर दिया गया है।**
- **बच्चों के अभिभावकों के रूप में पिता के साथ माता का नाम भी दर्ज किये जाने की अनिवार्यता कर दी गयी है।**
- **असेवित विकास खण्डों में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना** के लिए निजी प्रबन्धतंत्रों को दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है। यह घोषित करते हुए सरकार को गर्व है कि वर्ष के प्रारम्भ में 157 विकास खण्डों के स्थान पर अब सम्पूर्ण प्रदेश में मात्र 23 विकास खण्ड ही ऐसे बचे हैं जहाँ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति नहीं हो पायी है। इन अवशेष विकास खण्डों में भी इस वर्ष के अन्त तक विद्यालय की स्वीकृति लक्षित है। **दूसरे चरण में प्रति विकास खण्ड न्यूनतम् दो कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को खोलने की योजना को लागू किया जा रहा है।** शर्त यह रहेगी कि दूसरा विद्यालय पहले से पर्याप्त दूरी पर दूसरी न्याय-पंचायत में हो।
- प्रदेश की निराश्रित विधवाओं को 100 रुपये प्रतिमाह दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि को हमारी सरकार ने बढ़ाकर 125 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।
- महिला आवासीय गृहों की अन्तःवासियों के भरण-पोषण की धनराशि को 312 रुपये से बढ़ाकर 450 से लेकर 550 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त संवासिनियों के पुनर्वासन अनुदान की धनराशि 1,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गयी है।
- विवाह द्वारा पुनर्वासित संवासिनियों को देय पुनर्वासन की धनराशि 2,500 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गयी है।

मान्यवर,

हमारी सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में महिलाओं के कल्याण और विकास हेतु व्यापक स्तर पर कार्य किये जायेंगे।

- **महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र मे प्रोत्साहन देने और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हमने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 1999-2000 से छात्राओं को स्नातक स्तर अर्थात् Graduation स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित महाविद्यालयों में यह सुविधा प्रदान की जायेगी।**

- मुझे सदन के सम्मानित सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि महिलाओं के उत्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में सम्पूर्ण देश में पहली बार सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि राजकीय सेवा की भर्तियों में महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। महिलाओं को यह आरक्षण प्रत्येक आरक्षित वर्ग के अधीन अर्थात् होरिजोण्टल (Horizontal) आधार पर दिया जायेगा।
- हमारी सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में यह प्राविधान है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, माता-पिता और बच्चों का पालन-पोषण करने से मना करता है तो इस धारा के अन्तर्गत न्यायालय अधिकतम 500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने के आदेश कर सकते हैं। 500 रुपये की अधिकतम सीमा वर्ष 1974 में निर्धारित की गयी थी। हमारी सरकार ने **यह निर्णय लिया है कि परित्यक्ता महिलाओं आदि को मिलने वाली भरण-पोषण के भत्ते की अधिकतम धनराशि दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके 500 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये प्रतिमाह कर दी जावे।**
- उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम द्वारा चयनित 15 जनपदों में महिलाओं के सर्वोन्मुखी विकास हेतु 62.14 करोड़ रुपये की "**महिला उत्थान योजना**" चालू वित्तीय वर्ष से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 2800 स्वयं-सहायतित महिला समूहों का गठन कर 42,000 महिलाओं को आगामी पाँच वर्षों में लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
- ग्रामीण क्षेत्र में आय, रोजगार एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से "**सघन मिनी डेयरी योजना**" एवं "**महिला मिनी डेयरी योजना**" के अन्तर्गत 1999-2000 में 38,850 परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। चालू वर्ष में 18,992 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।
- विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 300 विकास खण्डों में **आई. सी.डी.एस. III** के नाम से एक नयी परियोजना का संचालित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 110 नई परियोजनाओं का खोला जाना एवं 190 पुरानी परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित है।
- **गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के परिवार की लड़कियों / महिलाओं** को आई.टी.आई., पालिटेक्निक, एम.बी.ए., मेडिकल तथा इंजीनियरिंग के अध्ययन हेतु 50 रुपये से लेकर 425 रुपये प्रति माह **छात्रवृत्ति** दिये जाने की योजना का प्रस्ताव है।
- हमारी सरकार जनपद मथुरा के वृन्दावन, राधाकुण्ड और गोवर्धन परिक्षेत्रों में रह रही विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं, जो सामाजिक एवं धार्मिक अत्याचारों, परिवार एवं समाज की अपेक्षाओं का शिकार होकर ऐसे स्थानों पर रहने को बाध्य हैं जहां पानी, बिजली, हवा और शौचालय की सुविधा भी नहीं है, के लिए दो **महिला आश्रय सदन (रैन बसेरा)** की स्थापना के लिए इस बजट में 13 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इनमें महिलाओं के रहने, पानी, बिजली, चिकित्सा आदि सभी सुविधाओं का प्रबन्ध किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हम महिलाओं को प्रदेश के सामाजिक व आर्थिक विकास में बराबर की भागीदारी देना चाहते हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं में महिलाओं का आच्छादन अधिक से अधिक हो, इसके लिए प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी प्रत्येक योजना के लिए एक कार्य-योजना तैयार करायी जायेगी।

प्रदेश की आधी जनसंख्या को उनके अधिकार दिलाने, उनको बराबरी का दर्जा दिलाने और सभी विकास कार्यों में उन्हें सहभागिता प्रदान करने हेतु हमारी सरकार कटिबद्ध होकर सतत् प्रयास करेगी।

विकेन्द्रीकरण एवं जन-सहभागिता

मान्यवर,

वर्ष 1999-2000 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण कदम की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा, जल-सम्पदा, खनिज-सम्पदा, वन-सम्पदा, मानव-सम्पदा तथा पर्यटन स्थल सभी दृष्टि से सम्पन्न प्रदेश है, किन्तु फिर भी यह पिछड़ा हुआ है। प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों की दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी प्रदेश के पिछड़े होने का एक प्रमुख कारण गलत नियोजन रहा है। **"नियोजन ऊपर से नीचे की ओर"** किया गया। विकास योजनायें ऊपर से नीचे की ओर थोपी गयीं। परिणाम यह हुआ कि गांव-गरीब-किसान अपनी आवश्यकता के अनुरूप विकास से वंचित रहे।

वर्ष 1999-2000 से प्रदेश को विकास की एक नयी दिशा देने का निर्णय लिया गया है। **अब प्रदेश के विकास हेतु इकाई "ग्राम पंचायत" होगी।** हम गांव को धुरी के रूप में रखकर विकास प्रक्रिया को तेज करेंगे। **मेरा यह मानना है कि यदि नियोजन और विकास नीचे से ऊपर की ओर लाना है और स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं को महत्व देना है तो हमें ग्रामीण एवं नगरीय इकाईयों को स्वावलम्बी, स्वायत्त और सुदृढ़ बनाना होगा।**

विकेन्द्रित नियोजन और स्वशासन की व्यवस्था को मूर्त रूप देने की दिशा में हमने गत वर्ष प्रदेश के कुल कर राजस्व का 7 प्रतिशत नगरीय निकायों को और 4 प्रतिशत ग्रामीण निकायों को सीधे अंतरण का निर्णय लिया। इस निर्णय के फलस्वरूप ग्रामीण निकायों को शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 1996-97 में आयोजनेत्तर मद में ग्रामीण निकायों को केवल 20 करोड़ रुपये प्राप्त हुये, हमारी सरकार आने के उपरान्त 1997-98 में ग्रामीण निकायों को 255 करोड़ रुपये, 1998-99 में 300 करोड़ रुपये प्राप्त हुए तथा 1999-2000 में 328 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

ग्रामीण निकायों को आयोजनेत्तर पक्ष के अतिरिक्त आयोजनागत पक्ष में 583 करोड़ रुपये तथा दशम् वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 189 करोड़ रुपये 1999-2000 में प्राप्त होंगे। **इस प्रकार 1999-2000 में ग्रामीण निकायों को कुल 1100 करोड़ रुपये सीधे प्राप्त होंगे।**

प्रदेश सरकार का यह दृढ़ मत है कि विकेन्द्रित शासन प्रणाली द्वारा स्वशासन की पद्धति को विकसित करके ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करते हुए उन्हें नियोजन एवं आर्थिक विकास के कार्य में पूर्ण रूप से गतिशील किया जाये।

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1999-2000 को "विकेन्द्रीकरण एवं जन-सहभागिता" वर्ष के रूप में मनाया जायेगा। विकास प्रक्रिया में जनता की सहभागिता को बढ़ाते हुए ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय इकाईयों को कार्य व अधिकार प्रदान किये जायेंगे।

"विकेन्द्रीकरण एवं जन-सहभागिता" वर्ष में मुख्य कार्य-बिन्दु इस प्रकार होंगे :–

- **स्थानीय निकायों को कार्य, अधिकार, स्टाफ एवं वित्तीय साधनों का हस्तान्तरण।**
- **स्थानीय विवादों तथा छोटे अपराधों को स्थानीय स्तर पर ही निपटाने के लिए न्याय-पंचायत व्यवस्था की पुनर्स्थापना।**
- **विकास की इकाई "ग्राम पंचायत"।**
- **नियोजन प्रक्रिया "नीचे से ऊपर की ओर"।**
- **"विकास" में जन-सहभागिता के व्यापक उपाय।**
- **लाभार्थियों के लिए योजनाओं का संचालन लाभार्थियों की सहभागिता से।**

शासन का यह भी विचार है कि चयनित जनपदों में पायलट रूप में प्रत्येक ग्राम-पंचायत, प्रत्येक क्षेत्र-पंचायत तथा सम्पूर्ण जनपद की "पंच-वर्षीय योजना" स्थानीय स्तर पर तैयार की जाये।

प्रथम चरण में ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य इस प्रकार होंगे :–

1. प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाईस्कूल
2. राजकीय नलकूप
3. हैण्ड पम्प
4. स्वास्थ्य उप-केन्द्र
5. पशु चिकित्सा/सेवा केन्द्र
6. युवा कल्याण
7. कृषि विभाग के चयनित कार्य
8. ग्राम्य विकास विभाग के चयनित कार्य
9. पंचायती राज विभाग के चयनित कार्य
10. खाद्य विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी कार्य।

ग्रामीण निकायों को कार्य-हस्तान्तरण के साथ-साथ विभागों से स्टाफ तथा उस कार्य के लिए नियत बजट की धनराशि का हस्तान्तरण भी किया जायेगा। विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था में हस्तान्तरित किये गये विद्यमान स्टाफ को राजकोष से वेतन दिया जायेगा। हस्तान्तरण के पश्चात् हस्तान्तरित स्टाफ की सेवा-शर्तों, प्रोन्नति के अवसरों तथा सेवा निवृत्ति के लाभों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

मान्यवर,

स्थानीय निकायों को कार्य हस्तांतरण से सही मायने में सत्ता के साथ-साथ विकास कार्यों का विकेन्द्रीकरण होगा। स्थानीय स्तर पर कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण हो सकेगा, कार्यों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। "स्थानीय विकास स्थानीय जनता द्वारा" यह विकेन्द्रीकरण का आधार बिन्दु होगा और अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों अथवा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए ग्रामीण-जन को जिला मुख्यालय या प्रदेश मुख्यालय पर नहीं भटकना पड़ेगा। सरकार की मंशा है कि स्थानीय निकायों के 10 लाख जन-प्रतिनिधियों को अधिकार एवं दायित्व दिये जायें ताकि स्व-शासन की परिकल्पना साकार हो सके।

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण एवं जन-संवाद

श्रीमन्,

विकेन्द्रीकरण एवं जन-सहभागिता वर्ष में हम एक अभिनव प्रयोग करने जा रहे हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त अपने देश एवं प्रदेश में विकास का जो मॉडल अपनाया गया उसमें नियोजन केन्द्रीय योजना भवन से आरम्भ होकर भारत सरकार के मंत्रालयों से होता हुआ राज्य योजना आयोग से छनकर विभिन्न विभागों के माध्यम से फील्ड में पहुँचता रहा है। इस "ऊपर से नीचे" की नियोजन की प्रक्रिया का परिणाम यह रहा कि नीचे के स्तर पर "सोच" के साथ-साथ "सहभागिता" भी समाप्त हो गयी। सरकार द्वारा जनता के लिए जनता के विकास की योजनायें चलायी गयीं। सरकार पर

जनता की निर्भरता इस हद तक बढ़ गयी कि लोग घर के सामने के गढ़ढे को भरने, और कुए की सफाई कराने तक के लिए शासन तथा प्रशासन के पास आने लगे। विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु नौकरशाही बढ़ी। समाज में निहित स्वार्थ वाले तत्वों ने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर कब्जा कर लिया। भ्रष्टाचार पनपा और हम आज की स्थिति में पहुंच गये।

हमारी सोच जनता का विकास **"सरकार द्वारा विकास"** न होकर **"जनता द्वारा विकास"** की है। हम इस ओर ठोस कदम बढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जनता एवं जनता द्वारा चुना शासन एक दूसरे के साथ ताल-मेल कर विकास कार्यों को गति देंगे। एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे। एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे। एक दूसरे से सीखेंगे और इस सीख से आगे के कार्यक्रमों में सुधार लायेंगे। यह एक अनवरत प्रक्रिया होगी जिससे उभय पक्ष लाभान्वित होंगे।

उक्त बातें कहने में जितनी सरल, करने में उतनी ही कठिन हैं। इस हेतु सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र की मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक होगा। पिछले 50 वर्षों के संस्कार एकाएक नहीं छूटेंगे। मेरी सरकार इसके लिए **एकेडेमिक संस्थानों** की मदद लेगी। हर स्तर के कर्मियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। विभिन्न सेक्टरों में छोटे स्तर पर जन-सहभागिता का लाभ प्रदर्शित करने वाली **पायलट परियोजनायें** चलाकर उनकी सफलता को अन्यत्र दोहराया जायेगा। लोगों की सहभागिता उनकी आवश्यकता आंकलन से लेकर, परियोजना संरचना, आर्थिक संसाधनों का प्रबन्ध, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हर स्तर पर होगी। हर स्तर पर लोगों से संवाद होगा और हर स्तर पर उनके अनुसार परियोजना में परिवर्तन सम्भव होंगे। इससे न केवल परियोजनाओं की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप संरचना एवं क्रियान्वयन होगा अपितु निहित स्वार्थ दूर हटेंगे और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। यह मेरी सरकार का सपना है जिसे सच करने के लिए हम कृत-संकल्प हैं।

सभी माननीय सदस्यगण भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार की लड़ाई से भली-भाँति परिचित हैं। हमारा उद्देश्य न केवल भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई करना है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना भी है जिसमें भ्रष्टाचार पनप ही न सके। सरकार ने न केवल घोटालों की जाँच कर सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की वरन् नियमों एवं प्रक्रियाओं में ऐसे परिवर्तन भी किये जिनसे शासन और प्रशासन यथासम्भव पारदर्शी तथा जनता की पहुंच के अन्दर आ सके। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, विकास कार्यों की सूची जन-प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाना, विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन, नागरिक चार्टर निर्गत कराया जाना, जनता को सूचना का अधिकार दिया जाना, विकास कार्यों में जन-सहभागिता को बढ़ाया जाना, चैक द्वारा मन्ना मूल्यों का भुगतान, चैक द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान तथा कैम्प लगाकर विभिन्न पेंशनों की स्वीकृति ऐसे व्यवस्था परिवर्तन हैं जो भ्रष्टाचार को स्वतः उन्मूलित करेंगे। हमारे ये प्रयास निरन्तर जारी रहेंगे।

ऊर्जा क्षेत्र में ढांचागत सुधार

मान्यवर,

अभी मैंने सम्मानित सदन के समक्ष विकास के विकेन्द्रीकरण और जन-सहभागिता की रूप-रेखा रखी है। अब मैं प्रदेश के तीव्र गति से आर्थिक विकास हेतु ऊर्जा सेक्टर में सुधार के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हमने विद्युत के क्षेत्र में सुधार हेतु गंभीर चिंतन किया है क्योंकि इस क्षेत्र में सुधार बिना हमारा प्रदेश प्रगति नहीं कर पायेगा। मैं सम्मानित सदन के समक्ष प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की गत कई दशकों से बिगड़ी हुई स्थिति का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा।

- उत्तर प्रदेश में विद्युत की खपत 204 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है, जबकि आन्ध्र प्रदेश में 374, मध्य प्रदेश में 335, गुजरात में 608 तथा महाराष्ट्र में 500 है। राष्ट्र का औसत 319 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। विद्युत बाहर से क्रय करने के बाद भी पीक डिमाण्ड के समय 15 प्रतिशत एवं सामान्य डिमाण्ड के समय विद्युत की उपलब्धता में 8 प्रतिशत की कमी रह जाती है।
- विद्युत उत्पादन में सुधार के लिए प्लान्ट और मशीनरी के रख-रखाव एवं आधुनिकीकरण के लिए धनराशि की जो आवश्यकता है, वह विद्युत परिषद् के पास उपलब्ध नहीं है। परिषद् की वर्तमान आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कोई भी वित्तीय संस्था परिषद् को ऋण देने को तैयार नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य विद्युत परिषद् को अपने बजट से 1000 से 1500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सहायता दी जा रही है। विद्युत बोर्ड पर राज्य सरकार का कुल 19 हजार करोड़ रुपये का ऋण बकाया है।
- विद्युत परिषद् की पारेषण एवं वितरण प्रणाली में अत्यधिक खामियाँ हैं जिसके कारण वोल्टेज एवं विद्युत आपूर्ति में बार-बार व्यवधान होता है। यू०पी० डेस्कों की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार 1500 करोड़ रुपये की विद्युत हानि प्रतिवर्ष होती है। 31 मार्च, 1997 को विद्युत बोर्ड की कुल हानि 7,000 करोड़ रुपये थी तथा नकद देनदारियाँ 4,200 करोड़ रुपये थी।

ऊर्जा सेक्टर की कार्य-प्रणाली के गत कई दशकों के अनुभव के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा गहन अध्ययन, विचार एवं मंथन करके इस महत्वपूर्ण सेक्टर में सुधार हेतु एक नीति बनायी गयी है, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है :–

- विद्युत उत्पादन में वृद्धि
- विद्युत की सुनिश्चित आपूर्ति
- विद्युत आपूर्ति की उत्तम गुणवत्ता
- नये पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन
- विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए पूंजी-निवेश हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण व सहायता प्राप्त करना।
- बिजली की हानि व चोरी पर रोक लगाना
- विद्युत देयों की वसूली की स्पष्ट पद्धति तथा प्रभावी अनुश्रवण
- विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही और जिम्मेवारी निर्धारण करने हेतु स्पष्ट पद्धति का प्रतिपादन।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हेतु विधान मण्डल के इसी सत्र में विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। इस अवसर पर मैं माननीय सदन के समक्ष प्रस्तावित ऊर्जा सुधार विधेयक के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को संक्षेप में रखना चाहूँगा।

- ऊर्जा सेक्टर के सुधार के प्रथम चरण में विद्युत परिषद् को विभाजित कर तीन निगमों की स्थापना की जायेगी। ये निगम इस प्रकार होंगे :–
    1. तापीय उत्पाद निगम
    2. जलीय उत्पादन निगम
    3. पारेषण एवं वितरण निगम
- द्वितीय चरण में तापीय व जलीय उत्पादन निगमों को विद्युत गृह-वार स्वतंत्र उत्पादन कम्पनियों में विभाजित किया जायेगा। इसी चरण में पारेषण एवं वितरण के लिए पृथक-पृथक निगम स्थापित

किये जायेंगे। द्वितीय चरण में ही पारेषण निगम को दो अलग-अलग कम्पनियों में विभाजित किया जायेगा।

- अन्तिम चरण में विद्युत वितरण के लिए वितरण निगम को छोटी-छोटी वितरण कम्पनियों में विभाजित किया जायेगा और बाद में इनका निजीकरण किया जायेगा।
- ऊर्जा सेक्टर में सुधार के पहले कदम के रूप में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) का गठन किया है। यह आयोग विद्युत की दरों का नियमन, सेवा में गुणवत्ता, निरन्तरता एवं विश्वसनीयता के लिए मानकों का निर्धारण तथा सुरक्षा मानकों का निर्धारण करेगा। आयोग के गठन से विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी तथा ऊर्जा क्षेत्र में निजी पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। आयोग के गठन से पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन से विद्युत परिषद् को एक प्रतिशत कम ब्याज पर ऋण मिल सकेगा।

ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्गठन प्रस्ताव के अन्तर्गत बिजली व्यवस्था को एक बड़े और अनियन्त्रित ढांचे से बदलकर छोटी-छोटी और अपने काम के लिए सीधे **जवाबदेह इकाईयों** में बांटा जायेगा ताकि यह साफ हो सके कि बिजली की हॉनि कहाँ हो रही है। इस व्यवस्था में यह प्रस्तावित है कि बिजली जहाँ पैदा होगी, जहाँ से बांटी जायेगी और जहाँ से उपभोक्ताओं को मिलेगी, वे तीनों व्यवस्थायें बिजली का अलग-अलग हिसाब रखेंगी। अलग-अलग अपना प्रबन्ध चलायेंगी और अपना फायदा नुकसान भी अलग-अलग रखेंगी। इसका परिणाम यह होगा कि **बिजली के नुकसान या बिजली की चोरी जिस स्तर पर हो रही है, उसे रोकने के लिए ये इकाईयाँ अलग-अलग अपनी जवाबदेही महसूस करेंगी।**

इस अवसर पर मैं अपने किसान भाईयों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि नई ऊर्जा नीति के लागू होने पर कृषि क्षेत्र में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी और हमारी सरकार किसानों को और अधिक तथा सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है।

ऊर्जा क्षेत्र का पुनर्गठन प्रदेश की तीव्र गति के विकास हेतु एक अपरिहार्य कदम है। हमने यह निर्णय पूरी तरह प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पुनर्गठन से बिजली कर्मचारियों के हितों पर कोई भी आंच नहीं आनी है। **बिजली बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान, सेवा-शर्तों, प्रोन्नति के अवसरों तथा सेवा-निवृत्ति के लाभों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।**

सुधारों के माध्यम से आगामी वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में हम उत्तर प्रदेश को न केवल आत्म निर्भर वरन् सरप्लस राज्य बनाने में सक्षम हो सकेंगे। मुझे आशा है कि नयी ऊर्जा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु समस्त राजनैतिक दलों, जन-प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा समस्त जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

मान्यवर,

हमने प्रदेश के सुनियोजित विकास हेतु जो नीतियाँ तैयार की हैं जिनका उल्लेख मैं पूर्व में कर चुका हूँ, उनके सम्बन्ध में मुख्य बातें संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूँगा :–

मार्ग विकास नीति

प्रदेश की बहुमुखी विकास के लिए सुनियोजित ढंग से मार्गों के निर्माण, अनुरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा मार्ग विकास नीति की घोषणा की गयी है। मार्ग विकास नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैं :–

- प्रदेश के 1000 से अधिक आबादी वाले 19814 गांवों को सन् 2005 तक तथा 1000 से कम आबादी वाले 34414 गांवों को सन् 2010 तक सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने का संकल्प प्रदेश सरकार

द्वारा लिया गया है। वर्ष 1998-99 में 1000 से अधिक आबादी वाले 2900 ग्रामों को जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 1999-2000 में 1000 से अधिक आबादी वाले 3100 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायेगा।

- मार्ग के बेहतर अनुरक्षण के लिए पेट्रोल एवं डीजल पर बिक्री कर की दरों में वृद्धि से प्राप्त धनराशि से **"सड़क निधि"** की स्थापना की गयी है।
- प्रत्येक वर्ष 1000 किलोमीटर **नहर पटरियों को** पक्का किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों के नवीनीकरण की समयावधि निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय मार्गों का नवीनीकरण प्रत्येक 3 वर्ष बाद, राज्य मार्गों का प्रत्येक 5 वर्ष बाद, मुख्य जिला मार्गों का प्रत्येक 6 वर्ष बाद तथा अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का प्रत्येक 8 वर्ष बाद नवीनीकरण किया जायेगा।
- ग्रामीण मार्गों एवं सेतुओं के लिए **नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से संस्थागत ऋण** प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 504.5 करोड़ रुपये की लागत से 2059 मार्गों तथा 118 सेतु बनाने के प्रोजेक्ट नाबार्ड को भेजे जा चुके हैं तथा इसमें से 1,113 मार्गों तथा 51 पुलों के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
- मार्ग एवं पुल के निर्माण में **निजी क्षेत्र की भागीदारी** सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को नोडल संस्था घोषित किया जा चुका है तथा उनके द्वारा **बी० ओ० टी० के आधार** पर योजनाओं को तैयार कराया जा रहा है।

उद्योग नीति

हमारी उद्योग नीति के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:–

- निजी क्षेत्र से पूँजी-निवेश के माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
- **"अवस्थापना इनीशिएटिव फण्ड"** की स्थापना, जिसके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का उपयोग करके वृहद अवस्थापना परियोजनाओं में निजी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
- कतिपय चयनित क्षेत्रों की विशिष्ट औद्योगिक सम्भावनाओं को देखते हुए उन्हें विशेष रूप से विकसित किया जायेगा ताकि इन क्षेत्रों का आकर्षण बढ़े एवं अधिक निवेश इन क्षेत्रों की ओर प्रवाहित हो। इसके लिए **सात औद्योगिक गलियारे** स्थापित किये जायेंगे।
- सम्पूर्ण प्रदेश की **"इन्फ्रास्ट्रक्चर मैपिंग"** कराई जायेगी तथा इस मैपिंग से पायी जाने वाली अवस्थापना कमियों को दूर करने के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्य-योजना बनायी जायेगी।
- कृषि आधारित एवं खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रमुख मण्डियों के निकट **"विशेष औद्योगिक क्षेत्र"** विकसित किये जायेंगे।
- सभी औद्योगिक क्षेत्रों को 24 घंटे निर्बाध बिजली दी जायेगी।
- मन्दी से गुजर रहे उद्योगों को एक से दो वर्षों के लिए अपने स्वीकृत विद्युत भारत का अंश समर्पित करना अनुमन्य किया जायेगा।
- सम्पूर्ण कर व्यवस्था का सरलीकरण किया जायेगा। इसके लिए **"टास्क फोर्स"** का गठन किया गया है, जिसमें विशेषज्ञों तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।
- प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों में उद्यमिता का विकास किया जायेगा।

- सिंगिल विन्डो व्यवस्था के स्थान पर पारदर्शी **''एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था''** लागू की गयी है जिसका उल्लेख मैं पूर्व में कर चुका हूँ।
- उच्च स्तर पर उद्योगों से सम्बन्धित सभी विभागों में बेहतर ताल-मेल एवं सामन्जस्य के लिए प्रदेश में पहली बार **''औद्योगिक विकास आयुक्त''** का नया पद सृजित किया गया है।
- प्रदेश की औद्योगिक सम्भावनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए नई दिल्ली, कलकत्ता तथा मुम्बई में **''उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन केन्द्र''** स्थापित किये जायेंगे।
- रुग्णता को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया जायेगा, जिसके तहत रुग्ण इकाइयों का चिन्हांकन करके, उन्हें औपचारिक रूप से रुग्ण घोषित करने की कार्रवाई की जायेगी एवं उनके पुनर्वासन हेतु **''आर्थिक पैकेज''** तैयार किये जायेंगे।
- रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन हेतु **''लघु उद्योग पुनर्जीवन योजना''** लागू की जायेगी।
- कतिपय विशिष्ट चयनित श्रेणी के उद्यमियों को **''ग्रीन-कार्ड''** की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ताकि शासकीय कार्यों में उन्हें प्राथमिकता मिल सके।
- **इंसपेक्टर राज की समाप्ति** हेतु अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि बिना जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी निरीक्षण नहीं किया जा सकेगा।

पर्यटन नीति

- प्रदेश की नयी पर्यटन नीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनायी गयी रणनीति **बाजारोन्मुख** (मार्केट ड्रिवेन) तथा बहुआयामी है।
- इस रणनीति के तहत पर्यटन विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
- निजी क्षेत्र से पर्याप्त पूंजी-निवेश सुनिश्चित करने के लिए अनिवासी भारतीयों को विशेष महत्व दिया जायेगा।
- सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का विकास, संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु **''विकास निधि''** का गठन किया जायेगा।
- नयी पर्यटन नीति के अन्तर्गत पर्यटन उद्योग में पूंजी-निवेश को बढ़ावा देने एवं गुणवत्ता उत्पाद उपलब्ध कराने वाली पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रेरित करने के लिए उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयों की भाँति अनेक प्रकार के प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है।
- होटलों में 1000 रुपये से कम किराये वाले कक्षों पर सुख-साधन कर आरोपित नहीं होगा।
- प्रदेश की सभी मान्यता प्राप्त पर्यटन इकाइयों को उनके संचालन की तिथि से 5 वर्ष तक सुख-साधन कर से पूर्ण रूपेण मुक्ति अथवा डिफरमेण्ट की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले नये रोपवे पर संचालन की तिथि से 5 वर्ष तक मनोरंजन कर से पूर्ण मुक्ति अथवा डिफरमेण्ट की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- प्रदेश में मान्यता प्राप्त इकाइयों में संचालित किये जाने वाले रेस्टोरेण्ट पर संचालन की तिथि से 5 वर्ष तक व्यापार-कर से पूर्ण मुक्ति अथवा डिफरमेण्ट की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- जिन पर्यटन इकाइयों में केबिल आपरेटर द्वारा अथवा स्वयं के डिश एंटेना द्वारा टेलीविजन कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते हैं, उन पर मनोरंजन कर का निर्धारण किये जाने हेतु कम्पाउन्डिंग प्रणाली प्रारम्भ की जायेगी।
- घरेलू अतिथि योजना (पेइंग गेस्ट स्कीम) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त 5 कक्ष (दस शैय्याओं) तक की सभी इकाइयाँ व्यापार-कर से पूर्ण रूप से मुक्त की जायेंगी।
- प्रदेश में सभी वर्तमान एवं नये मनोरंजन पार्कों को मनोरंजन कर से पूर्णतः मुक्त रखा जायेगा।

निर्यात नीति

प्रदेश की निर्यात नीति के मुख्य अंग इस प्रकार हैं :–

- निर्यात के 7500 करोड़ रुपये के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर सन् 2002 तक 20 हजार करोड़ रुपये किये जाने का लक्ष्य।
- निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की लखनऊ में स्थापना।
- **झाँसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, रुद्रपुर, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, भदोही, नोएडा, सहारनपुर तथा बरेली में क्षेत्रीय निर्यात कार्यालयों की स्थापना।**
- निर्यात उत्पादन में जिन कच्चे माल, पैकिंग सामान एवं अन्य वस्तुओं को उपयोग में लाया जाता है, उन पर **व्यापार-कर समाप्त** किये जाने का निर्णय।
- निर्यातकों के लिए **बाजार विकास सहायता** के नाम से नई योजना।
- निर्यातमूलक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, विस्तार एवं आधुनिकीकरण।
- नोयडा, मुरादाबाद, कानपुर तथा उन्नाव में **निर्यात पार्कों** की स्थापना।
- प्रथम चरण में नोएडा, रुद्रपुर एवं मिर्जापुर में **भण्डारण तथा कंटेनर** सुविधाओं का विकास।
- निर्यात व्यापार से जुड़ी इकाइयों एवं उद्यमियों को निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकृत कराने की योजना। पंजीकृत इकाइयों में से 20 लाख अथवा इससे अधिक वार्षिक निर्यातमूलक इकाइयों को **ग्रीन-कार्ड** की सुविधा।
- शत-प्रतिशत या इससे अधिक निर्यात करने वाली इकाइयों को **"पब्लिक यूटिलिटी स्टेटस"** की सुविधा।

वन नीति

वन नीति के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं :–

- वन नीति का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन है। वनों से आर्थिक लाभ का उद्देश्य गौण है।
- राज्य में वृहद स्तर पर सभी वर्ग विशेषकर महिलाओं एवं वनों के समीपवर्ती ग्रामवासियों की भागीदारी एवं सहयोग प्राप्त कर वनों के विकास एवं **वृक्षारोपण हेतु जन आन्दोलन** चलाया जायेगा।
- प्रदेश के **एक-तिहाई क्षेत्र को वनाच्छादित** करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए वृहद योजना तैयार की जायेगी।
- ग्रामीण निर्बल वर्ग एवं जनजाति के ईंधन, चारा, लघु वन उपज की घरेलू मांग की पूर्ति पर विशेष बल दिया जायेगा।
- सामाजिक वानिकी कार्यक्रम त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा और अच्छे कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जायेगा।
- महुआ, चिरौंजी, शहद तथा मोम को स्थानीय लोगों तथा जनजातियों को निःशुल्क दिया जायेगा।
- वानिकी कार्य को रोजगार परक मानते हुए इसे राज्य की सभी रोजगार परक योजनाओं में विशेष महत्व दिया जायेगा।
- मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में **"राज्य वानिकी परिषद्"** की स्थापना की गयी है जो वन नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।

खनिज नीति

प्रदेश में पहली बार खनिज नीति बनायी गयी है जिसकी मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :–

- खनिज एवं खनिज विकास को **उद्योग का दर्जा।**
- खनिज परिहार स्वीकृत करने की प्रक्रिया में **समयबद्धता।**
- खनिजों के बहुमुखी विकास के लिए **खनिज इस्टेट** की स्थापना।
- उद्यमियों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचनायें उपलब्ध कराना।
- 10 करोड़ रुपये से अधिक के पूँजी-निवेश पर **व्यापार-कर में छूट।**
- **खनन उद्योग** में लगे श्रमिकों की सुरक्षा, सामयिक विकास एवं रोजगार के नये अवसर प्रदान करना।
- खनिज उद्योग की आवश्यकताओं के लिए आई०टी०आई० एवं पालीटेक्निकों में **खनन पाठ्यक्रम** शुरू किया जाना।
- अन्वेषण एवं खनिज विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु **"खनिज विकास निधि"** की स्थापना।
- रिक्त क्षेत्रों एवं निरस्त किये गये पट्टा क्षेत्रों के लिए **नीलामी प्रणाली** अपनाना।
- जनपदों में जिला उद्योग केन्द्रों में उद्यमियों को विशेष सहायता प्रदान करने हेतु **"खनिज मित्र"** के विशेष कोष्ठक की स्थापना किया जाना।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति

मान्यवर,

अब मैं प्रदेश की बिगड़ी वित्तीय स्थिति और उसके सुधार के कुछ उपायों पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

- हमारा प्रदेश वर्तमान में **वित्तीय संकट** की स्थिति में है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि पिछले 10 वर्षों में वित्तीय प्रबन्ध, वित्तीय अनुशासन तथा अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाने की जो उपेक्षा की गयी, उसी का यह परिणाम है कि आज प्रदेश का वित्तीय ढांचा चरमरा गया है।
- पिछले 10 वर्षों में सरकार के राजस्व व्यय में तेजी से वृद्धि हुई किन्तु राजस्व प्राप्तियाँ उसी अनुपात में नहीं बढ़ीं परिणाम यह हुआ कि हमारा राजस्व घाटा निरन्तर बढ़ता गया। वर्ष 1988-89 में राजस्व घाटा 605 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1998-99 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर 8,665.87 करोड़ रुपये हो गया है।
- राजस्व घाटे की पूर्ति सरकार द्वारा ऋण लेकर की जाती रही। 31 मार्च, 1998 को प्रदेश के ऊपर **48,365 करोड़ रुपये का ऋण का बोझ** था जिस पर केवल ब्याज मद में ही **5040 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा।**
- पिछले दशक में बढ़ते हुए राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा लोक-लेखे का भी उपयोग करना पड़ा।
- राजस्व व्यय-मुख्यतः वेतन/भत्तों व परिलब्धियों तथा ब्याज में बेतहाशा वृद्धि का परिणाम यह हुआ कि हमारा पूंजीगत परिव्यय, जो वास्तव में विकास हेतु परिसम्पत्तियों के सृजन पर किये जाने वाला व्यय है, घटता चला गया और वर्ष 1997-98 में इस मद में मात्र 1,668 करोड़ रुपया ही व्यय हुआ और वेतन, भत्तों तथा परिलब्धियों पर लगभग 11,000 करोड़ रुपये व्यय हुए।

- राजस्व व्यय अर्थात् अनुत्पादक व्यय में तेजी से वृद्धि और पूंजीगत व्यय अर्थात् विकास कार्यों पर व्यय में निरन्तर कमी के परिणामस्वरूप प्रदेश की आर्थिक विकास दर में तेजी से कमी आयी है। **जहाँ देश की आर्थिक विकास दर 6 प्रतिशत वार्षिक है, हमारे प्रदेश की औसत विकास दर आठवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1992-93 से 1996-97 तक मात्र 2.9 प्रतिशत वार्षिक रही है।**

वर्ष 1998-99 से वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए किये गये उपाय

अभी मैंने प्रदेश की पिछले वर्षों से बिगड़ी हुई वित्तीय दशा का विवरण दिया है।

श्रीमन्,

- हमें विरासत में मिली ऐसी जर्जर वित्तीय व्यवस्था को ठीक करना एक दुरूह और चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बिगाड़कर जिस कगार पर लाकर पहुंचा दिया गया, उसे रातों-रात ठीक नहीं किया जा सकता। वर्ष **1998-99 वित्तीय दृष्टि से सबसे कठिन व चुनौती भरा वर्ष था।**
- **पंचम वेतन** आयोग की सिफारिशें लागू करने से पुनरीक्षित वेतनमान के कुल मिलाकर 4,000 करोड़ रुपये का एक मुश्त तथा 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार प्रदेश सरकार पर पड़ा। अधिकांश कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के बकायों का भुगतान वर्ष 1998-99 में ही किया गया। इसके अतिरिक्त ऋणों पर देय ब्याज की राशि में भी लगभग 800 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इन वचनबद्ध मदों में हुई वृद्धि के बावजूद राजस्व व्यय को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि लाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। कर संसाधनों में वृद्धि हेतु विशेष रूप से मोटर स्प्रिट पर व्यापार-कर में वृद्धि की गयी तथा स्टाम्प ड्यूटी की दरों का युक्तिकरण किया गया। वर्ष 1998-99 में देश में व्याप्त आर्थिक मंदी के बावजूद कर-राजस्व में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त होने के अनुमान हैं।
- वर्ष 1998-99 में कर प्रशासन को चुस्त करने के साथ-साथ कर निर्धारण प्रक्रिया का सरलीकरण, कर-अपवंचन पर प्रभावी अंकुश तथा बकायों की वसूली हेतु कारगर अभियान भी प्रारम्भ किया गया। इसके साथ ही साथ अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं जिससे वर्ष 1998-99 में लगभग 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बाजार ऋण, लगभग 300 करोड़ रुपये अल्प बचत योजना में तथा बोनस/अवकाश नकदीकरण के भविष्य निधि में जमा करने से लगभग 500 करोड़ रुपये लोक लेखा में प्राप्तियाँ बढ़ीं। साथ ही कुछ नये कर संसाधन का निर्णय लिया गया जिनके वास्तविक परिणाम वर्ष 1999-2000 में बढ़ी हुई राजस्व प्राप्तियों के रूप में मिलने की आशा है। उदाहरणस्वरूप प्रवेश-कर लागू करने से एक वर्ष में लगभग 500 करोड़ रुपये मिलने की आशा है।
- मैं यहाँ पर माननीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कर-राजस्व **सकल घरेलू उत्पाद** का वर्तमान में मात्र 5.3 प्रतिशत है जो समकक्ष राज्यों की तुलना में कम है। हमारा प्रयास यह होगा कि यह अनुपात अगले वर्षों में बढ़े और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।
- राजस्व लेखे में उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप राज्य सरकार की ऋण लेने की आवश्यकता में उत्तरोत्तर कमी आयेगी और राज्य के **सकल राजकोषीय घाटे** (Fiscal Deficit) में कमी आयेगी। राजकोषीय घाटा जो वर्ष 1998-99 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद का 7.93 प्रतिशत है वह वर्ष 1999-2000 में घटकर 6.3 प्रतिशत होने की आशा है।

- वित्तीय अनुशासन कायम करने हेतु प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्षान्त में वैयक्तिक लेखा खाते (PLA) में भारी मात्रा में धनराशि स्थानान्तरित करने की प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश लगाया जाय। इस दिशा में सार्थक पहल की जा चुकी है।

मान्यवर,

हमारी सरकार ने वित्तीय स्थिति में सुधार प्रारम्भ कर पिछले एक दशक की प्रवृत्ति को उलटकर प्राप्ति व व्यय को सही दिशा देने का कार्य प्रारम्भ किया है। सरकारी व्यय में मितव्ययिता तथा अनुत्पादक मद में कमी करने के गम्भीर प्रयास किये गये हैं।

लोक-लेखा, विशेष रूप से कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि तथा सामूहिक बीमा निधि की धनराशि का उपयोग राजस्व-व्यय में न कर, अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर किये जाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाने की दिशा में भी हमें गम्भीरता से विचार करना होगा।

- विकास कार्यों को तीव्र गति प्रदान करने के लिए यह भी आवश्यक है कि बजट पारित होने के पश्चात् स्वीकृतियाँ तत्काल जारी हो जायें। पिछले एक दशक का अनुभव यह बताता है कि अधिकांश स्वीकृतियाँ वर्ष के अन्तिम त्रैमास में जारी हुई हैं और स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग नहीं हुआ है।

- **मैं सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 1998-99 में जुलाई के अन्त में बजट पारित होने के पश्चात् लगभग पूरी स्वीकृतियाँ 10 सितम्बर, 1998 तक जारी कर दी गयी थीं। यह हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है।**

- **वर्ष 1999-2000 का बजट समय से प्रस्तुत हो रहा है। शासन का यह दृढ़ निश्चय है कि मार्च, 1999 में बजट पारित होने के पश्चात् माह अप्रैल में प्रत्येक कार्य की स्वीकृति जारी हो जाये और वर्ष 1999-2000 में माहवार व्यय की समय-सारिणी भी स्वीकृति आदेश में ही निर्धारित की जाये ताकि विकास कार्यों को वर्ष पर्यन्त तेजी से कार्यान्वित किया जा सके।**

- वर्ष 1999-2000 के बजट प्रस्तुति के अवसर पर मैं आपका ध्यान एक अन्य महत्वपूर्ण दिशा की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। सन् 1990 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न बैंकों में लगभग 18 हजार करोड़ रुपये जमा हुए थे और 8 हजार करोड़ रुपये के ऋण प्रदेश में प्रवाहित हुए। 1998 में बैंकों में प्रदेश का लगभग 60 हजार करोड़ रुपये जमा हुआ है और केवल 17 हजार करोड़ रुपये से भी कम का ऋण प्रदेश में प्रवाहित हुआ है। पिछले दस साल में जमा और ऋण का प्रतिशत 47 प्रतिशत से घटकर 29 प्रतिशत से भी नीचे आ गया है। इस समस्या के व्यापक अध्ययन एवं समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है जिसमें अन्य के अतिरिक्त अर्थशास्त्री, बैंकर्स, भारत सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। हमें आशा है कि अध्ययन से ऐसे कार्य बिन्दु स्पष्ट हो सकेंगे कि इस स्थिति में बदलाव आये।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

- प्रदेश की वित्तीय स्थिति और उसमें सुधार की आवश्यकता के सम्बन्ध में, मैं माननीय सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण पहलू पर आकृष्ट करना चाहूँगा कि वित्तीय स्थिति में सुधार और आर्थिक विकास राजनैतिक विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। इसे हम सभी को मिलकर ठीक करना चाहिए।

- **प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार और आर्थिक विकास राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनैतिक दलों के लिए सर्वोपरि महत्ता का विषय होना चाहिए। अन्ततोगत्वा हम सभी इस प्रदेश की महान जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। अतः हम सभी को मिलकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार कर तीव्र गति से आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने चाहिए। मुझे विश्वास है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठीक करने में हमें सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। इस सम्बन्ध में हमें जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, हम उनका स्वागत करेंगे।**

वर्ष 1999-2000 के बजट का वित्तीय विवरण

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 1999-2000 में 37,294.78 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में 22,831.06 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 14,463.72 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।
- वर्ष 1999-2000 की राजस्व प्राप्तियाँ गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 21.4 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 1999-2000 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश 12,248.72 करोड़ रुपये है जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 29.7 प्रतिशत अधिक है।

व्यय

- वर्ष 1999-2000 में कुल व्यय 40,754.04 करोड़ रुपये अनुमानित है जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 0.9 प्रतिशत कम है।
- कुल व्यय में 29,761.88 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 10,992.16 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है।
- वर्ष 1999-2000 में राजस्व लेखे का व्यय गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से मात्र 8.4 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 1999-2000 में पूंजीगत व्यय 2,719.76 करोड़ रुपये है जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 12.9 प्रतिशत अधिक है जिसे अतिरिक्त संसाधन जैसे प्रवेश-कर की प्राप्ति से और बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।
- पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1998-1999 में आयोजनागत व्यय 7868.37 करोड़ रुपये सम्भावित है। इसके विपरीत वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक अनुमान में 8447.53 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसे अतिरिक्त संसाधन जैसे प्रवेश-कर आदि की प्राप्ति से और बढ़ाने का प्रयास है।

समेकित निधि का घाटा

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 1999-2000 में घाटा 3459.26 करोड़ रुपये है जबकि वर्ष 1998-99 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर यह घाटा 5101.95 करोड़ रुपये था। इस प्रकार समेकित निधि के घाटे में 1642.69 करोड़ रुपये की कमी अनुमानित है।

लोक-लेखा से समायोजन

वर्ष 1999-2000 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 3080.28 करोड़ रुपये लोक-लेखा से समायोजित किये जायेंगे जबकि वर्ष 1998-99 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार लोक-लेखा से 3743.77 करोड़ रुपये समायोजित किये गये।

अन्तिम शेष

वर्ष 1999-2000 में आरम्भिक शेष को लेते हुए शुद्ध घाटा 772.63 करोड़ रुपये होना अनुमानित है।

मान्यवर,

इस घाटे को अनुत्पादक व्ययों में और कमी, कर-अपवंचन पर प्रभावी रोक तथा बकायों की प्रभावी वसूली कर पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जैसा मैं पहले इंगित कर चुका हूँ वर्ष 1998-99 में ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवेश कर (Entry Tax) पर महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिलने और विधायी प्रक्रिया पूर्ण होने पर लगभग 500 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है जिसका अधिकतम उपयोग पूंजीगत परिव्यय की वृद्धि में किया जायेगा।

वर्ष 1999-2000 के मुख्य कार्यक्रम और बजट प्राविधान

अब मैं वर्ष 1999-2000 में किये गये मुख्य प्राविधान और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा।

- वर्ष 1999-2000 में **खाद्य उत्पादन** का लक्ष्य 485.29 लाख टन रखा गया है जो 1998-99 के 477.74 लाख टन उत्पादन से 7.55 लाख टन अधिक है।
- भूमि सुधार निगम की विश्व बैंक से वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 21 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त **ऊसर भूमि** को उपचारित कर कृषि योग्य बनाया जायेगा।
- कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण व व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर ग्रामीण क्षेत्रों में आय एवं रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से **"उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना"** का क्रियान्वयन सितम्बर, 1998 से प्रारम्भ हो गया है। यह पंचवर्षीय योजना 72 जनपदों में 3 चरणों में लागू की जायेगी जिसकी कुल लागत 699 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए 557.30 करोड़ रुपये विश्व बैंक से दीर्घकालीन ऋण के रूप में तथा शेष 141.70 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। वर्ष 1999-2000 के बजट में इस परियोजना के लिए 91.81 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
- इस वर्ष की रबी में गेहूं की फसल के लिए 550 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा **किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से** मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में रबी के लिए 20 लाख टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए समय से सभी तैयारियाँ सुनिश्चित की जायेंगी।
- वर्ष 1999-2000 में खरीफ और रबी की फसल के लिए कुल 1075 करोड़ रुपये के **"फसल-ऋण"** का लक्ष्य रखा गया है।
- **सिंचाई की निर्माणाधीन मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं** के लिए वर्ष 1999-2000 हेतु 383 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इन परियोजनाओं से आगामी वर्ष में 1.25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

- प्रदेश में **निजी लघु सिंचाई** के माध्यम से वर्ष 1999-2000 में 4 लाख 75 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

- वर्ष 1998-99 में मेरी सरकार ने **गहरे नलकूपों को 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक लाख रुपये तक का अनुदान दिये जाने की योजना** प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में 500 नलकूपों का लगाये जाने का प्रस्ताव है।

- **नहरों की टेल तक पानी पहुँचाकर** सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु वर्ष 1999-2000 में लगभग 30 हजार किलोमीटर नहरों की सफाई का कार्यक्रम है। यह प्रयास किया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 1998-99 से आरम्भ नहरों की सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 वर्षों में सभी नहरों की पूर्ण सफाई करा दी जाये, ताकि उनके टेल तक पानी पहुँचाकर कृषकों को अपेक्षित लाभ पहुँचाया जाय।

- **वर्ष 1999-2000 में वार्षिक योजना का अन्तरिम परिव्यय 11,400 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जिसका 70 प्रतिशत भाग कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए रखा गया है।**

- **ग्रामीण विकास के लिए ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनायें जैसे–जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि के लिए वर्ष 1999-2000 में 2500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह 1998-99 में किये गये 2000 करोड़ रुपये के प्राविधान से 500 करोड़ रुपये अर्थात् 25 प्रतिशत अधिक है।**

- सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों जिनके माध्यम से ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है, को तकनीकी दृष्टिकोण से सुदृढ़ किया जाये। इसके लिए लोक निर्माण विभाग अथवा सिंचाई विभाग के एक अधिशासी अभियन्ता खण्ड को डी०आर०डी०ए० से सम्बद्ध किया जायेगा।

- वर्ष 1999-2000 में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए 210.26 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। **आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख 20 हजार इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे।**

- **गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की सभी योजनाओं के अन्तर्गत 1999-2000 में 5000 किलोमीटर सड़क निर्माण कर 3100 गांवों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा, जिसके लिए कुल 425 करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा।**

- **एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत 1999-2000 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले **4 लाख 25 हजार परिवारों को लाभान्वित** किया जायेगा। 1998-99 में इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 1999 तक 3 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया था।

- वर्ष 1999-2000 में 2 लाख 7 हजार **इन्दिरा आवासों का निर्माण** कराया जायेगा जिसके लिए 57.74 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

- वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,14,862 **व्यक्तिगत शौचालय तथा** 1,298 **महिला काम्प्लेक्स का निर्माण** कराया जायेगा जिसके लिए 30.33 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

- वर्ष 1999-2000 में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 18 से 35 वर्ष की आयु वाले 59 हजार 400 **युवाओं को ट्राइसम योजना के अन्तर्गत** विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे स्व-रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 797.62 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

- **विभिन्न महत्वपूर्ण एक लेन मार्गों की चौड़ाई बढ़ाने और इनके किनारों को मजबूती प्रदान करने के लिए दोनों ओर ईंट का खड़न्जा लगाने की योजना वर्ष 1999–2000 से प्रारम्भ की जा रही है और आय-व्ययक में 10 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा जा रहा है।**

- प्रदेश में मार्गों के उच्चीकरण एवं विभिन्न महत्वपूर्ण मार्गों पर यातायात के घनत्व को देखते हुए **बाई-पासेज एवं रेलवे उपरिगामी सेतुओं** के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान बजट में प्रस्तावित है।

- **विश्व बैंक पोषित स्टेट रोड प्रोजेक्ट–2** के माध्यम से प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य अगले वर्ष 1999–2000 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना 2650 करोड़ रुपये की 7 वर्षों के लिए है।

- उत्तर प्रदेश **राज्य सेतु निगम द्वारा** वर्ष 1999–2000 में 110 करोड़ रुपये की लागत से चार उपरिगामी सेतुओं के अतिरिक्त 62 अन्य सेतुओं का निर्माण कार्य पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

- उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के माध्यम से राज्य मार्गों पर सेतु/रेलवे उपरिगामी सेतु/बाई-पासेज आदि के सम्बन्ध में सम्भाव्यता अध्ययन का कार्य प्रारम्भ कराया गया है एवं अध्ययन के निष्कर्षों के उपरान्त **बी० ओ० टी०** प्रणाली के द्वारा निजी क्षेत्र के माध्यम से निर्माण प्रारम्भ कराये जाने की योजना प्रस्तावित है।

- वर्ष 1997–98 व 1998–99 की भांति वर्ष 1999–2000 में भी एक हजार किलोमीटर लम्बाई की **नहर पटरियों को पक्का करने** का निर्णय लिया गया है।

- **गड्ढा मुक्त सड़कों** के चलाये गये अभियान को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। वर्ष 1999–2000 में गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान को और व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है।

- मोटर स्प्रिट कर के एक अंश से **"सड़क निधि"** की स्थापना की गई है जिसका उपयोग सड़क निर्माण और रख-रखाव के लिए किया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1999–2000 में 100 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

- वर्ष 1998–99 में प्रारम्भ की गयी **रोजगार छतरी योजना** के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1998–99 में लगभग 10 लाख व्यक्तियों को मजदूरी रोजगार एवं स्व-रोजगार प्रदान किया गया। वर्ष 1999–2000 में इस योजना के अन्तर्गत 10 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को मजदूरी व स्व-रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।

- **नगरीय स्थानीय निकायों** के विभिन्न विकास कार्यक्रम हेतु वर्ष 1999-2000 में 575 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह धनराशि स्थानीय निकायों को सीधे अन्तरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। वर्ष 1998-99 में नगरीय स्थानीय निकायों को 525 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये थे।

- प्रदेश के 56 नगरों में चिन्हित **मलिन बस्तियों** में नाली, खड़ंजा, सार्वजनिक शौचालय एव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1999-2000 में 40 करोड़ रुपये व्यय करके 31.38 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

- शहर के निर्धन वर्ग जिनकी कोई निश्चित आय नहीं है को 5, 10 व 15 रुपये प्रतिदिन की दर से जमा करने पर आवास उपलब्ध कराने की योजना का 11 नगर निगमों के शहरों से विस्तार करते हुए इसे 24 नगरीय विकास प्राधिकरणों में और लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत **वर्ष 1999-2000 में 115 करोड़ रुपये की लागत से 40 हजार आवास निर्मित किये जायेंगे।**

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में 45.4 करोड़ रुपये व्यय कर 20.92 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया जायेगा।

- **बुन्देलखण्ड विकास निधि** के लिए वर्ष 1998-99 के 40 करोड़ रुपये के प्राविधान के विरुद्ध वर्ष 1999-2000 में 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह गत वर्ष से 25 प्रतिशत अधिक है।

- **पूर्वांचल विकास निधि** के लिए भी इस वर्ष धनराशि में वृद्धि की गई है। वर्ष 1999-2000 में पूर्वांचल विकास निधि के लिए 150 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जबकि वर्ष 1998-99 में इस निधि में 120 करोड़ रुपये का ही प्राविधान किया गया था।

- वर्ष 1998-99 की भाँति वर्ष 1999-2000 में भी **विधान सभा तथा विधान परिषद् के प्रत्येक माननीय सदस्य** को अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए **50 लाख रुपये** उपलब्ध कराने हेतु लगभग **260 करोड़ रुपये** की **"विधायक-निधि"** का प्राविधान किया गया है। इससे हम विकास की गति को और तेज करने के साथ-साथ संतुलित एवं आवश्यकता-जनित विकास के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे।

- **उत्तरांचल की वार्षिक उप-योजना** वर्ष 1999-2000 के लिए कुल 1140 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जो गत वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है।

- **अनुसूचित जाति/जन-जाति के छात्र-छात्राओं** को छात्रवृत्ति के लिए वर्ष 1999-2000 में 367.32 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में 78 प्रतिशत अधिक है।

- **पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति** के लिए 33.62 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त **"छत्रपति शाहू जी महराज छात्रवृत्ति योजना"** के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु 211 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार से शीघ्र स्वीकृत होने की आशा है।

- **अल्प-संख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति** के लिए वर्ष 1999-2000 में 102.89 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

- **उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम** द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में एक लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

- **स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना** के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 में एक लाख 9 हजार स्वच्छकारों को स्वतः रोजगार योजनायें उपलब्ध कराकर उन्हें मैला उठाने की कुप्रथा से मुक्त किया जायेगा।

- **एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 में 2 लाख 21 हजार अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1998–99 में एक लाख 54 हजार परिवार लाभान्वित कराये गये।

- **वृद्धावस्था पेंशन** के लिए वर्ष 1999–2000 में 85.69 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत भी धनराशि प्राप्त होगी।

- **वित्तीय वर्ष 1999–2000 में अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है** जिसके अन्तर्गत एक संकाय तक 30 लाख रुपये तथा एक से अधिक संकायों के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये अनुदान 2 किश्तों में दिया जायेगा।

- शासन को भी **प्राविधिक शिक्षा** के क्षेत्र में अपनी स्व-वित्तपोषी संस्थायें स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र के अनेक प्रस्ताव मिल रहे हैं। इन प्रस्तावों में वर्ष 1998–99 तक 26 संस्थायें संचालित हो गयीं और वर्ष 1999–2000 के लिए भी 31 संस्थाओं को प्रदेश सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है। इससे स्नातक स्तर पर प्रवेश क्षमता 2000 से बढ़कर 3500 हो जायेगी।

- राजकीय इंजीनियरिंग कालेज/संस्थाओं/निजी क्षेत्र के स्थापित होने वाले कालेजों में समन्वय स्थापित करने और विश्वविद्यालय में इन कालेजों की सम्बद्धता प्राप्त करने में जटिलता को दूर करने के लिए **उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम** बनाया जा रहा है।

- पूर्वी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 1999–2000 में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा वाराणसी में एक कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। इसके लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

- प्रदेश में चिकित्सा सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं का समुचित विस्तार उपलब्ध है परन्तु इनका पूर्ण उपयोग विभिन्न कारणों से सम्भव नहीं हो पा रहा है। सरकार का प्रयास उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के उचित एवं पूर्ण उपयोग पर बल देने का है। औषधियों के लिए वर्ष 1999–2000 में 70 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

- इस वर्ष हमारी सरकार ने विंध्याचल में **विन्ध्य महोत्सव** का आयोजन शुरू किया है। हमने निर्णय लिया है कि यह महोत्सव हर वर्ष आयोजित किया जायेगा। इस वर्ष यह महोत्सव केवल 3 दिन के लिए मनाया गया। आगामी वर्षों में महोत्सव 10 दिन तक मनाया जायेगा और सरकार द्वारा इस महोत्सव हेतु 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिया जायेगा। इसी प्रकार हमारी सरकार द्वारा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महोत्सव आयोजित किये जायेंगे जिससे इन क्षेत्रों की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा मिल सकेगा तथा आर्थिक विकास के साथ-साथ क्षेत्र का भी व्यापक सुधार होगा।

- वर्ष 1999–2000 में **ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना, ग्रामीण एवं शहरी व्यायामशालाओं की स्थापना** करके उन्हें संचालित कराने के लिए कुल 705.03 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

- **बुनकरों के लिए संचालित** रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में 20,000 अतिरिक्त बुनकरों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- नेशनल हैण्डलूम बोर्ड की भांति उत्तर प्रदेश हैण्डलूम बोर्ड का गठन किया जायेगा। यह संस्था हैण्डलूम एवं बुनकरों के समग्र विकास के लिए कार्य करेगी।
- 14 फरवरी, 1999 के बाद जो भी ऋण बुनकरों को उपलब्ध कराया जायेगा उसमें 2.2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदेश सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- बुनकरों के लिए ब्याज रहित ऋण की योजना पूर्व में लागू की गयी थी जिसकी समय-सीमा समाप्त हो गयी है। अधिकांश बुनकरों द्वारा अभी तक ऋण की अदायगी नहीं की जा सकी है तथा उनके ऊपर ब्याज भी चढ़ गया है। अतः ब्याज रहित ऋण योजना 14 फरवरी, 2000 तक बढ़ा दी गयी है।
- वर्ष 1999-2000 में 3,000 **ग्राम्य उद्योग इकाइयों** की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इससे 12,000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
- भारत सरकार के **खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं** के अन्तर्गत 53 करोड़ रुपये वित्त पोषित कराकर 1900 खादी ग्रामोद्योग की इकाइयां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कराये जाने का प्रस्ताव है जिससे 14,400 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- आगरा में शिल्पग्राम में जो सुविधा उपलब्ध है, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार इसे और विकसित करने जा रही है। इस काम्पलेक्स में विभिन्न हस्तशिल्पी अपनी हस्तकारियों से वस्तुएं बनायेंगे भी तथा इनकी बिक्री भी इसी केन्द्र से सुनिश्चित करायी जायेगी। इस योजना से शिल्पकारों का आर्थिक विकास होगा, साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मान्यवर,

इस सदन के समक्ष मैंने चालू वित्तीय वर्ष का बजट और प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूप-रेखा रखी है। मैंने विभाग-वार तथा सेक्टर-वार योजनाओं का विस्तार से वर्णन अपने भाषण में नहीं किया है। विभाग-वार योजनाओं और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अलग पुस्तिका में बजट साहित्य के साथ उपलब्ध करा दिया गया है।

श्रीमन्,

सदन के पटल पर रखा यह दस्तावेज मात्र आय-व्यय का ब्यौरा नहीं है। यह प्रदेश के विकास की हमारी दृष्टि है। जात-पाँत, मत-मजहब से इतर सभी वर्गों का समग्र विकास हमारी मूल चिंता है। इसलिए हमारे इस बजट का मकसद **"बहुजन हिताय बहुजन सुखाय"** न होकर **"सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय"** है।

मैं सम्मानित सदन के समस्त सदस्यों का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने धैर्य पूर्वक सुनकर मुझे अनुगृहीत किया।

मैंने पिछली बार भी कहा था, उसे मैं फिर दोहराना चाहूँगा। विकास, दलगत राजनीति का विषय नहीं है। प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने और समाज के निर्धन एवं वंचित लोगों के विकास के लिए हमें मिलकर प्रयत्न करने होंगे चाहे हम सत्ता दल में हों या विपक्ष में। **विकास को राजनीति से अलग रखते हुए, विकास को राजनीति से ऊपर रखते हुए मैं** प्रदेश के तीव्र गति से विकास हेतु पक्ष एवं विपक्ष दोनों के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

इस विशाल प्रदेश के समग्र विकास के लिए मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों से कृपापूर्ण सहयोग, सहायता एवं सहभागिता की आकांक्षा करता हूँ तथा यह भी आशा करता हूँ कि हमें सदन के सभी माननीय सम्मानित सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ। मैं प्रमुख सचिव, वित्त के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों ने मुझे बजट बनाने में जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने कम्प्यूटर की सहायता से बजट शीघ्र तैयार कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजकीय मुद्रणालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

अन्त में, मैं इस विशाल प्रदेश में जन-जन के सम्पूर्ण विकास, सम्पूर्ण सुख एवं सम्पूर्ण प्रगति की परिकल्पना को साकार करने हेतु **''सर्वे भवन्तु सुखिनः''** की मंगल कामना से स्फूर्त वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक को उत्तर प्रदेश की महान जनता की सेवा में प्रस्तुत करता हूँ।

माघ 30, शक सम्वत् 1920

तद्नुसार

दिनांक 19 फरवरी, 1999।

(बजट भाषण समाप्त होने के उपरान्त)

(मेजों की थपथपाहट)

प्रश्नकाल के समय बजट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इस सदन की परम्परा रही है कि प्रश्न आवर कभी स्थगित नहीं किया गया आज तक जो हमने सदन की कार्यवाही देखी है उसमें कभी प्रश्न आवर स्थगित नहीं किया गया है।

(समय 12 बजकर 45 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

आप कार्यसूची देखेंगे, जिस समय कार्य-मंत्रणा समिति की संस्तुति प्रस्तुत की गयी थी, सदन में उस समय कहा गया था।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पहले मेरी बात सुन लें। मान्यवर, सामान्य परिस्थितियों में यह प्रश्न आवर कभी स्थगित नहीं किया गया है, इससे हमें सरकार से विभिन्न जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ है। यह हमारा अधिकार है, इससे जनहित की समस्याओं का हल होता है और तमाम कार्य होते हैं। आज तक का विधान सभा का इतिहास रहा है कि उसमें कभी सत्ता पक्ष द्वारा प्रश्न आवर को स्थगित नहीं किया गया है। आज सत्ता पक्ष द्वारा और मुख्य रूप से माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस प्रश्न आवर को स्थगित करने का कार्य किया गया इससे हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, रोज प्रश्नकाल होने ही नहीं दिया जाता था, आज यह आये हैं।

श्री बी० आर० वर्मा–

अभी तक मान्यवर, विपक्ष ने प्रश्न आवर नहीं होने दिया। मैं चाहता हूं कि सत्ता के लोग अब प्रश्न आवर न होने दें, ताकि बराबर हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि कार्य-मंत्रणा समिति ने संस्तुति की थी, कि आज दिनांक 19 फरवरी, 1999 को आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 1999–2000 को 11 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्तुत करेंगे और वह संस्तुति इस सदन के सामने रखी गयी थी और उसमें स्पष्ट था कि प्रश्नकाल आज नहीं होगा और उसको इस सदन ने स्वीकार कर लिया था, सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ था। इसलिये इस व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त करता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19 फरवरी, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 3 सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री लाल जी वर्मा की, वह उपस्थित हैं, दूसरी सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की, वह अनुपस्थित हैं और तीसरी सूचना श्री रणधीर सिंह की, वह उपस्थित हैं, तो श्री लालजी वर्मा और श्री रणधीर सिंह की सूचना स्वीकार हुई। माननीय सदस्य जिनकी सूचना अस्वीकार हुई, वह हैं माननीय राम नक्षत्र जी।

(स्वीकृत दोनों सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद अम्बेडकरनगर की इल्तिफातगंज नगर पंचायत के मुख्य मार्ग को लेपन स्तर तक निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा–

[मान्यवर, नगर पंचायत इल्तिफातगंज, जनपद अम्बेडकरनगर की एक अति पिछड़ी नगर पंचायत है। आवागमन हेतु सड़क न होने से आम निवासियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त नगर पंचायत का मुख्य मार्ग जो कि लगभग 1 कि०मी० केवल खड़न्जा स्तर तक निर्मित है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इल्तिफातगंज नगर पंचायत के मुख्य मार्ग से जिसकी लम्बाई 1 कि०मी० है लेपन स्तर तक निर्मित कराने की मांग करता हूं।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा विद्युत के एसेसमेन्ट को रद्द किये जाने के प्रकरण की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रणधीर सिंह–

[मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रकरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, अवगत ही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के आर्थिक दिवालियापन के कारण उसका विघटन करके उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के रूप में अलग किये जाने का सरकार ने निर्णय लिया है जो प्रदेश की जनता के लिए कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु दूरदर्शिता पूर्ण कदम है, जो अत्यन्त सराहनीय है।

मान्यवर, इसी के साथ मैं आपका ध्यान राज्य विद्युत परिषद् से अन्य संगठन विद्युत सुरक्षा निदेशालय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो विद्युत परिषद् के दिवालियापन की ओर ले जाने में सार्थक सिद्ध हुआ है। निदेशक, विद्युत सुरक्षा ने दिनांक 01-6-98 को प्रदेश की 11 स्टील फैक्टरियों को विद्युत चोरी के इल्जाम से मुक्त करते हुए करोड़ों रुपये के विद्युत परिषद् के अधिकारियों द्वारा किये गये एसेसमेन्ट को रद्द कर दिया है। निदेशक, विद्युत सुरक्षा ने 29-5-98 को इकाइयों के प्रार्थना-पत्रों पर दिनांक 1-6-98 को उनके पक्ष में आदेश पारित कर दिया जब कि विपक्षी को 7 दिन की पूर्व नोटिस दिये जाने की नियमों में व्यवस्था है। राज्य विद्युत परिषद् द्वारा इस पर एतराज किया गया था। शासन ने भी इसे गम्भीरता से लिया है, इसके बावजूद इस मामले को दबा दिया गया है।

चूंकि, इस मामले में करोड़ों रुपये की विद्युत की वसूली निहित है। अतएव प्रकरण की जांच कराकर तथ्यों से अवगत कराने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19-2-99 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री अनीस खां की है। यह आपकी सूचना 300 के अन्तर्गत तो नहीं आती, इसमें सदन के सामने कोई तात्कालिक कार्य वाली बात तो नहीं है, आप नियम 300 देख लें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, नये सदस्य हैं, अभी सीख रहे हैं। दो मिनट इनकी व्यथा को सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम 300 में सूचना देंगे तो नियम 300 में आनी चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, एक निवेदन है। माननीय सदस्य की सूचना 3 दिन से गलत जा रही है। आप इनकी सूचना को सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई संदेह नही कि यह 3 दिन से सूचना दे रहे हैं बल्कि 10 फरवरी से दे रहे हैं। मैं आपकी विवशता समझता हूं। अपनी बात आप शासन के संज्ञान में लाना चाहें, तो ला दीजिये, वैसे नियम 300 में नहीं आती।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यहां की व्यवस्था तो आपके निर्देश पर चलती है, जब प्रश्नकाल में बजट प्रस्तुत हो सकता है तो यह भी आ जायेगी ।

श्री अनीस खां, स० वि० स० को झूठे मुकदमे में फंसाये जाने एवं एन० एस० ए० में निरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री अनीस खां–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं समूचे सदन का ध्यान 6 फरवरी, 98 को अपने विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की ओर ले जाना चाहता हूं । मैं लोक सभा का चुनाव बसपा के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित मेनका गांधी के खिलाफ लड़ रहा था । 6 फरवरी को मैं अपने लोकसभा चुनाव का प्रचार करने हेतु क्षेत्र में निकला था । एक साजिश के तहत, चुनाव प्रचार करने हेतु जो कार्यकर्ता जीपों से जा रहे थे, जिन जीपों पर जिलाधिकारी द्वारा जारी किये गये परमिट भी चस्पा थे, को ईदगाह चौराहे पर जबरदस्ती 2-3 घन्टे तक रोक लिया गया, जब मैं अपने प्रचार के लिये उधर से निकल रहा था तो मैंने रास्ते में रुककर देखा तो काफी भीड़ जमा थी, उस समय वहां हमारे कार्यकर्ताओं और पुलिस के लोगों में वाद-विवाद हो रहा था । मैंने जरूरी समझा कि बीच-बचाव करके माहौल को शान्त किया जाय, मैं गाड़ी से मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर अलग-अलग किया । मुझे वहां एक दरोगा ने धमकी दी कि तुमको और तुम्हारे कार्यकर्ताओं को मुकदमा दर्ज कराकर बंद करायेंगे । मैंने तत्काल वहां पास के पी० सी० ओ० पर जाकर जिलाधिकारी, पीलीभीत से बात की, मैंने उनको पूरी बात बताई, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको बंद नहीं किया जायेगा, आप अपना चुनाव प्रचार करें । यदि झूठा मुकदमा लिख भी जाता है तो खत्म कराने का प्रयास करेंगे । जब मैं शाम को वापस आया तो मैं, मेरे दो भाई और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, तब मैं पुनः डी० एम० और एस० पी० से बात करता हूं, उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि आपको बंद नहीं किया जायेगा और यदि मुकदमा लिख गया है तो खत्म कराने की कोशिश की जायेगी । 7 तारीख को मैंने चुनाव प्रचार किया, इस दौरान मेरे भट्ठों पर, मेरे कारोबार के अन्य ठिकानों पर पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर रेड डाली गई । मान्यवर, 8 तारीख को चुनाव प्रचार के दौरान मुझे गिरफ्तार किया गया और उसके 1 घंटे बाद पीलीभीत जिला जेल से मुझे सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया । मान्यवर, मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि दरोगा को कोई चोट नहीं आयी है । सर्जन का बयान है कि दरोगा को किसी भी तरह की चोट नहीं आयी है लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ दफा 307 का मुकदमा कायम किया गया है । मान्यवर, मुझे 12 फरवरी को जमानत मिल गयी थी और सेन्ट्रल जेल से मैं आ रहा था लेकिन फिर मुझे गिरफ्तार कर फतेहपुर जेल भेज दिया गया । मान्यवर, जेल में रहने के बावजूद दो लाख वोटों से जीत कर मैं सेकिन्ड नम्बर पर आया था । मैं पूछना चाहता हूं कि हम जैसे विधायक से जिसके खिलाफ कभी 307 का मुकदमा कायम नहीं हुआ है तो मुझसे कैसे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है ? लेकिन मुझे सुरक्षा कानून के अन्तर्गत एन० एस० ए० में निरुद्ध किया गया है । मैं जहां से चुनाव जीता हूं वहां मेरे ऊपर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाकर मुझे एन० एस० ए० में निरुद्ध किया गया जिससे मुझे बहुत पीड़ा हुई है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि किसी भी विधायक अथवा सांसद को फर्जी एन० एस० ए० के अन्तर्गत निरुद्ध नहीं करना चाहिए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

श्री अनीस खां को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य की सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं। शासन ने उनकी बात को सुन लिया है।

दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री राम ललित चौधरी की है जिसके द्वारा पूर्वांचल में आयी भीषण बाढ़ के कारण सरकार द्वारा राजस्व देयों की वसूली स्थगित किये जाने के बावजूद लखीमपुर के सदर तहसील में राजस्व वसूली करने और उस दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु होने के सम्बन्ध में है। नियम 300 के अन्तर्गत यह आपकी सूचना कैसे आयेगी ?

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, राजस्व देयों की वसूली स्थगित करने के बावजूद वसूली की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

श्री चौधरी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियम 51 में भी इसी विषय पर आपने सूचना दिया है, उसको मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप बैठ जायें।

श्री राम ललित चौधरी जी, आप की सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

अगली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है, जिस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं, इसलिये नियम 300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य की सूचना को मैं अस्वीकार करता हूं।

मद संख्या–2, 3, 4, 5 में कुछ नहीं है।

नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19 फरवरी, 1999 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना सर्वश्री समरपाल सिंह, परवेज हलीम, गजेन्द्र कुमार मुन्ना, कौकब हमीद, राजपाल सिंह, बिजेन्द्र आर्य, बनारसी दास चांदना की है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, कानून व्यवस्था के ऊपर शुरू से जब से यह सरकार बनी है, भाषण देती रही है, वक्तव्य देती रही है कि उसकी कानून व्यवस्था ठीक है, इस बारे में बड़े जोर से वक्तव्य दिये गये, और भाषण दिये गये और कहा कि हमने कानून व्यवस्था को सुधारना शुरू कर दिया है। (एक बजकर पांच मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए) मान्यवर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं, वहां हाल बहुत बुरा है। वहां पर लोग शादियां रात के बजाय दिन में करने लगे हैं,. वहां पर बरातें दिन दहाड़े लूट ली जाती हैं और उनका कत्ल हो जाता है, उनका अपहरण हो जाता है, तो उन में भय व्याप्त है कि पता नहीं किस समय क्या हो जाये ? इसी कारण वह लोग शादियां दिनों में ही कर लेते हैं, दिन में ही वह लोग अपना कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं। वहां पर अनेक ऐसे काण्ड हुए हैं, जब पूरी की पूरी बरात लूट ली गयी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इनके जो पुलिस महानिदेशक हैं, उनके अनुसार ही आप देख लें, तो अंदाजा लग जायेगा कि आपकी कानून व्यवस्था कैसी है । डकैती के मामले 1997 में 636 थे और 1998 में 803 हो गयीं । लूट की घटनायें 1997 में 3053 हुई और 1998 में 3888 हो गयीं । हत्या की घटनायें 1997 में 6834 थीं और 1998 में 7399 हो गयीं । और इसी प्रकार से हत्या की घटनायें 1997 में 6834 थीं और 1998 में 7399 हो गयी तो मान्यवर, यह कानून की व्यवस्था है । सरकार को करना यह चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार दिया जाये । नौकरी न मिल पाने के कारण हरियाणा के लोग यहां के नव जवानों को हत्याओं और लूट में प्रयोग करते हैं, वह लोग इनको पैसा देते हैं । हालात इतने बिगड़ गये हैं कि बिजनौर से चलें और मेरठ रोड पर दिन में ही रोक दिया जायेगा और कहा जाता है कि कल वहां पर हत्या हो गयी, परसों वहां पर लूट हो गयी है, पुलिस के लोग खड़े रहते हैं और लोगों को चलने नहीं देते हैं ।

मान्यवर, आप समाचार पत्र को उठा कर देख लें । रोज यही निकलता है कि फलां जगह पर हत्या हो गयी है, लूट हो गयी है और अपहरण हो गया है । उद्योग निधि और उद्योग नीति के बारे में कहा गया है । मान्यवर, गाजियाबाद और नोंयडा से उद्योग जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर कानून की व्यवस्था ठीक नहीं है । उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग लगाने के लिये तैयार नहीं है । जब 133 उद्योग हटे तो कोई भी उद्योग उत्तर प्रदेश आने के लिये तैयार नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर जानमाल का खतरा है और नतीजा यह निकला कि 133 उद्योगों में से एक भी उद्योग यहां पर नहीं आया । मान्यवर,कानून व्यवस्था पर यहां पर चर्चा होना आवश्यक है । यह अपने को कल्याणकारी सरकार कहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इनको 17 महीने हो गये हैं, लेकिन इन्होंने कौन सा कार्य किया है, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है । आपने थाने बढ़ाये या आपने पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ायी या पुलिस को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हथियार दिये यह बतायें । पिछले साल आपने कहा था कि टास्क फोर्स बनायेंगे यह टास्क फोर्स बनी आपको उसको कुछ हथियार भी दिये । उसके बाद टास्कफोर्स ने शुक्ला कांड किया । आप बतायें कि आपने कितने लोगों को जो अपराधी थे पकड़ा ? एक सबसे गलत काम यह हो रहा है कि जो टाप–10 और टाप–5 हैं उनको नहीं मार पाते हैं और दूसरे लोगों को मुकदमों में फंसा रहे हैं । फर्जी इन्काउंटर हो रहे हैं । बहुत से लोगों पर 307 के फर्जी मुकदमें लगाये गये हैं कि उन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलायी । आप बतायें कि टाप–10 और टाप–5 में कितने ऐसे इनामी लोग थे जिनको मार दिया गया है और कितने बचे हैं ? आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति ज्यादा से ज्यादा बिगड़ रही है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर अन्य कोई माननीय सदस्य बोलेंगे ?

(कोई वक्ता बोलने के लिये नहीं खड़ा हुआ)

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जिस समस्या का उल्लेख किया गया उसके बारे में मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि डेढ़ वर्ष के सतत प्रयास के बाद विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार हुआ है । जो बदमाश थे उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है । 4000 व्यक्तियों को टाप–5 में और 450 व्यक्तियों को टाप–10 में चिन्हित किया गया है । 100 पुलिस कर्मियों के, जिनके बारे में यह शिकायत थी कि वह अपराधी तत्वों से सांठ गांठ किये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है । यह सरकार बराबर प्रयासरत है कि कानून व्यवस्था में सुधार किया जाय । मैं इससे बिल्कुल सहमत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपहरण आदि की घटनायें बहुत हो रही हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राहत की सांस ले रहा है। सबको इसका अहसास हो गया है कि सरकार ने बदमाशों पर नियंत्रण किया है और आपके समय में जो अपराधियों को संरक्षण देने का जो काम किया गया था आज उन अपराधियों को पकड़ कर जेलों में बंद किया गया है। बहादुर पुलिस कर्मियों ने बदमाशों का मुकाबला करते हुए टाप-10 और टाप-5 के अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के अपराधियों को धराशायी किया है। यह अभियान बराबर चलता रहेगा। मान्यवर, मैं आग्रह करता हूं कि यह कार्य-स्थगन का विषय बनता नहीं है इसको अस्वीकार करें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मंत्री जी यह बता दें कि जो उद्योग दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आने थे वह हरियाणा और राजस्थान चले गये हैं इसलिये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आज तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की प्रशंसा हो रही है, बहुत सुधार आया है। उद्योगपति आयेंगे या नहीं आयेंगे यह अलग बात है। इस कारण से कोई नहीं रुका है कि कानून-व्यवस्था खराब है।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, जो फैक्ट्रियां दिल्ली से हटी हैं उनके बारे में बता दें कि वह क्यों नहीं आयीं ?

श्री हुकुम सिंह–

कानून व्यवस्था कोई वजह नहीं है और बातें हैं जिस कारण नहीं आयी होंगी।

श्री अधिष्ठाता–

श्री कौकब हमीद खान जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है अतः इसे अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी की है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं आपका ध्यान प्रदेश के लोक महत्व के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 27 हजार बी० एड० अथवा उसके समकक्ष प्रशिक्षण प्राप्त नवयुवक-नवयुवतियों को अल्पकालिक बी० टी० सी० का प्रशिक्षण देकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्त करने की घोषणा की है। श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की अनुपलब्धता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है और 9-1-98 के एक शासनादेश में यह बात कही गयी कि बी० एड० और एल० टी० के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बी० टी० सी० का 6 महीने का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें बी० टी० सी० के समकक्ष प्रशिक्षित माना जायेगा। श्रीमन्, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश में बी० टी० सी० ट्रेण्ड अध्यापकों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता को देखते हुए केवल एक वर्ष के शिक्षा सत्र के लिये आदेश किया था, जो बी० एड० और एल० टी० के अभ्यर्थी हैं उनके सम्वर्ग को उत्तर प्रदेश की सरकार ने परिवर्तित करके बी० टी० सी० कैडर में कर दिया। दूसरी तरफ पुनः शासन ने यह निर्णय लिया कि बी० एड० और एल० टी० प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 6 महीने का अल्पकालिक प्रशिक्षण देने हेतु जो वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी वह राज्य स्तरीय होगी। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बी० टी० सी० नियमावली में इस

बात का प्राविधान है कि बी० टी० सी० प्रवेश परीक्षा तो राज्य स्तर पर होती है किन्तु वरिष्ठता सूची जनपदवार बनायी जाती है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बी० एड० और एल० टी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को बी० टी० सी० कैडर में तब्दील कर दिया तो उनकी वरिष्ठता सूची जनपदवार बननी चाहिए न कि राज्य स्तरीय । इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की दूषित मानसिकता यह है कि 27 हजार सहायक अध्यापकों के जो अनुमोदित पद हैं अधिकांशतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं बी० एड० अभ्यर्थियों के मामले में एक दिक्कत यह है कि 1989 से पूर्व के जो अभ्यर्थी बी० एड० किये हुए हैं उन्हें उस समय 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर प्रथम श्रेणी मिलती थी 60 से 74 प्रतिशत अंक मिलने पर द्वितीय श्रेणी और 45 से 59 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर तृतीय श्रेणी मिलती थी लेकिन 1989 के बाद उसमें परिवर्तन हो गया । 60 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी को प्रथम श्रेणी 45 प्रतिशत पाने वाले अभ्यर्थी को द्वितीय श्रेणी और 45 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को तृतीय श्रेणी मिलने लगी । उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में जो प्रथम श्रेणी पाये हुए अभ्यर्थी हैं उनको 12 अंक दिये जायेंगे । जो द्वितीय श्रेणी पाये हुए अभ्यर्थी हैं उनको 6 अंक दिये जायेंगे और तृतीय श्रेणी पाये हुए अभ्यर्थियों को 3 अंक दिये जायेंगे । आज उत्तर प्रदेश सरकार अगर वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर बनाती है तो इस दोष पूर्ण फैसले के चलते उनको नुकसान होगा जो 1989 के पूर्व बी० एड० किये हुए हैं । 1989 के पूर्व 75 प्रतिशत अंक पाये अभ्यर्थियों को 6 अंक और 1989 के बाद 60 प्रतिशत अंक पाये हुए अभ्यर्थियों को 12 अंक दिये जायेंगे । लिखित और प्रयोगात्मक दोनों प्राप्तांकों के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार होगी । 1989 के बाद प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को 24 अंक और 1989 के पूर्व के 75 प्रतिशत अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को 12 अंक । पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 हजार सहायक अध्यापकों के जो अनुमोदित पद हैं उनके सापेक्ष जनपदवार सूची न बनाकर राज्य स्तर पर वरिष्ठता सूची बनवाने के पीछे प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में रिक्त सहायक अध्यापकों के पदों पर मन मुताबिक प्रदेश के दूसरे भागों के बी० एड०, एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को रख दिया जाए ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 24-4-97 को एक निर्णय दिया था जिसमें कहा गया है कि जहां कहीं भी बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थी अनुपलब्ध हों वहां पर शेष रिक्त पदों पर जनपद के बी० एड०, एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारकों को ही रखा जाए । यह रिट संख्या 4983/97/24-4-97 हैं । जो उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही सत्तासीन है । यह जनादेश की सरकार नहीं है । यह अनैतिक तरीके से सत्ता में आयी है । जो मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर सत्ता में आयी वह उसी मा० न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रही है । आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में इससे व्यापक जन असंतोष शिक्षित बेरोजगारों में है । यह न केवल बी० टी० सी० नियमावली की अवहेलना कर रही है बल्कि मा० उच्च न्यायालय के निर्णय की भी अवहेलना कर रही है । इस ज्वलंत और लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित करके तत्काल चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह–

कभी-कभी विद्वता आदमी को परेशान कर देती है । श्री सुबाष चन्द्र जी भी इसी के शिकार हो गये हैं । स्कूलों की प्रदेश में संख्या बढ़ाई गई जिससे प्रदेश में बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी जो 10-15 सालों से बेकार बैठे थे उनको सेवा में लिया गया । उसके बाद जब बी० टी० सी० अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे तो यह निर्णय लिया गया कि जो बी० एड० या एल० टी० प्रशिक्षण कर खाली बैठे हैं क्यों न उनको प्रशिक्षण दिलाकर सेवा में ले लिया जाए । जिससे उनको नौकरी भी मिल जायेगी और हमारी रिक्त अध्यापकों की संख्या भी पूरी हो जायेगी । क्योंकि नये सिरे से प्रशिक्षण दिलाने में समय लगता है । इससे इतने समय तक पद रिक्त रहते । इससे बी० एड० और एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त

अभ्यर्थी ट्रेनिंग में अपनी एजूकेशनल क्वालीफिकेशन में योग्यता प्राप्त की है उसको तैयारी मानकर इनकी मार्किंग की जाए । कोई अगर सही काम करना चाहता है पारदर्शिता से काम करना चाहता है तो उसमें भी शिकायत है । सारे प्रदेश से प्रार्थना-पत्र मंगाए गये प्रार्थना-पत्र मंगाने के लिये आधार तय किए गए। मा० मुख्य मंत्री जी ने जैसा कि कहा जो भी इनकी योग्यता रही होगी, जितने अंक इन्होंने प्राप्त किये होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी । फिर भी शिकायत है । 1989 में जिन्होंने जितने अंक प्राप्त किये होंगे आज की सिफारिश उनके ऊपर कैसे लागू हो सकती है ? इससे ज्यादा ईमानदारी और पारदर्शिता कुछ हो नहीं सकती है । हमने एक भी नम्बर इण्टरव्यू में नहीं रखा, जिसके कारण यह आरोप न लग जाए कि दबाव के कारण इण्टरव्यू में नम्बर बढ़ा दिये गये । जनपदवार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यह पूरे प्रदेश का मामला है । अध्यापकों की आवश्यकता है । प्रदेश को इकाई मानकर कार्य किया जा रहा है । मैं माननीय सदस्य से हमदर्दी रखता हूं । इसके बावजूद भी आपको अंगुली उठानी है तो आप उठायें परन्तु कभी-कभी मन, मस्तिष्क और संतुलन से काम लिया जाय तो अच्छा रहता है। अच्छा काम हो, इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं मान्यवर, यह मामला कार्य-स्थगन में नहीं बनता है । इस बात के लिये प्रदेश सरकार की, इस अच्छे काम के लिये अपेक्षा करता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहारना करें । पूरी पारदर्शिता के साथ यह काम हो रहा है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव--

मान्यवर, मुझे संसदीय कार्य मंत्री जी के पांडित्य में कहीं पर भी कोई शक-सुबहा नहीं हैं । मैं उनका आदर और सम्मान करता हूं परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया जनपदवार सूची तैयार कराने में उन्हें क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में जो बात कही है उस निर्णय को लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है, कृपया इसे वह बता दें । बी० टी० सी० की जनपदवार सूची बनती है । जब बी० एड० और एल० टी० को प्रदेश सरकार ने बी० टी० सी० कैडर में तब्दील कर दिया तो उन पर बी० टी० सी० की नियमावली लागू हो, इसमें सरकार को क्या दिक्कत आ रही है । क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर जनपद के ही अभ्यर्थियों को रखे जाने की बाध्यता है । अब बी० एड० को आपने बी० टी० सी० में तब्दील कर दिया तो उन पर बी० टी० सी० नियमावली लागू होनी चाहिए । राज्य स्तर पर सूची न बनवाकर जनपदवार सूची बनाने में सरकार को क्या दिक्कतें आ रही हैं ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैंने उस दिक्कत और समस्या के समाधान का पहले ही उल्लेख कर दिया है । बी० टी० सी० का प्रशिक्षण जनपदवाइज होता है । बी० टी० सी० के प्रशिक्षित लोग उपलब्ध नहीं है, स्कूल खाली पड़े हुए हैं । जब खाली पड़े हुए हैं तो वहां कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होगी । जनपदवाइज करना सम्भव नहीं होगा, वह एक असम्भव प्रक्रिया होगी जनपदवाइज नियुक्ति करने की बात माननीय सदस्य करते हैं, प्रार्थना-पत्र सारे प्रदेश से मांगे गये हैं और उन्हें थोड़े काल के लिये प्रशिक्षण भी दिया जाना है इसलिए सारे प्रदेश को इकाई मानकर और समान अवसर देकर हम इस कार्य को कर रहे हैं । जनपदवाइज प्रार्थना-पत्र के हिसाब से प्रार्थना-पत्र मांगने पर कहीं यह भी होगा कि वहां पद खाली नहीं हैं और कहीं बी० एड० के नहीं तो इससे कुछ जनपद खाली रह जायेंगे । इन सारी बातों का परीक्षण करके ही यह निर्णय लिया गया । दिनांक 24-4-97 के माननीय उच्च न्यायालय के उस निर्णय का विधिक परीक्षण चल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी को सुनने के बाद तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री अनीस खां की है वह इस पर बोल चुके हैं इसलिये मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार दलित विरोधी है। जब से यह सरकार बनी है दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार जारी है। बाबा साहब, जिनका देश को बनाने में बड़ा योगदान है उनका यह सरकार लगातार अपमान कर रही है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टांडा कोतवाली के बलिया जगदीशपुर गांव में दो साल पहले से बाबा साहब की एक प्रतिमा गांव के सभी लोगों ने मिल जुल कर रखने का काम किया था। इस सरकार की जो मंशा बाबा साहब के प्रति है, यह नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब की कोई प्रतिमा कहीं पर रखे। इसलिए लगातार इस तरह की साजिश करके जो पहले से प्रतिमाएं लगी हैं उनको खंडित करने का काम किया है। बलिया जगदीशपुर गांव में प्रतिमा को रातों रात दिसम्बर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश करके उठा लिया।

मान्यवर, रिपोर्ट भी की गयी लेकिन आज तक पुलिस ने कोई खोज खबर नहीं ली। आज स्थिति विस्फोटक है। लगातार प्रयास करने के बाद भी दूसरी प्रतिमा नहीं लगाई गई न ही सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया। प्रत्येक तरह से प्रयास कर रही है कि वहां पर प्रतिमा न लगाई जाय। मान्यवर, इस घटना से पूरे क्षेत्र में एक तरह से आक्रोश व्याप्त है और स्थिति विस्फोटक हो सकती है। इसलिये मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए चाहता हूं कि आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने का काम करें जिससे बाबा साहब का होने वाला अपमान और दलितों पर होने वाले अत्याचार रुक सकें और इस तरह की कुत्सित मानसिकता पर अंकुश लग सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 14/15 नवम्बर, 97 की रात गांव के खलिहान में एक बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हम भी बाबा साहब का सम्मान करते हैं। यह देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। वह एक अमर व्यक्तित्व हैं। उनके सम्मान के बारे में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। लेकिन सीधे-सीधे जानबूझकर ऐसे व्यक्ति के नाम के सहारे किसी की भूमि, खलिहान पर कब्जा करने की कुत्सित मानसिकता किस की है ? दूसरे लोगों की भूमि पर कब्जा करने के लिये ऐसे महान व्यक्तित्व का, उनकी मूर्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान्यवर, मैं वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि आपको ऐसे कुत्सित मानसिकता वालों की भर्त्सना करनी चाहिए जो उनका नाम लेकर उनकी प्रतिमा रखकर दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मान्यवर, यह 295/506 अपराध संख्या 465, 397 3 ए एस० पी० एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ था। मान्यवर, इसकी जांच कराई गई जो तथ्य प्रकाश में आये कि जान बूझ कर यह झूठा मुकदमा दर्ज किया गया कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी गई। ताकि दूसरे लोग आकर इनके कब्जे में दखल न दे सकें। जैसा मैंने कहा कि जितना आप सम्मान करते हैं उतना हम भी बाबा साहब की मूर्ति का सम्मान करते हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। 14 अप्रैल, 1997 को ग्राम प्रधान की सहमति से मूर्ति लगाई गई यह खलिहान के बगल की जमीन है खलिहान की नहीं है। 1997-98 में प्रतिमा रही। 1998 में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में रातों-रात प्रतिमा को उठा लिया

गया और यह कहा जा रहा है कि झूठा पाया गया । मान्यवर, प्रतिमा एक-दो साल लगी रही उसको रातों रात उठाया गया प्रतिमा चोरी कराई गई इसकी जगह कोई प्रतिमा स्थापित नहीं हुई इनका प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है वहां के एस० डी० ओ० ने झूठी रिपोर्ट देने का काम किया है मंत्री जी को असलियत सामने लानी है तो इसको स्वीकार करें सदन की एक कमेटी बना लें और जांच करा लें प्रतिमा चोरी नहीं हुई यह झूठ पाया गया तो जो सजा होगी उसके लिये तैयार हूं । मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । 14 अप्रैल, 1997 को प्रतिमा स्थापित हुई । नवम्बर, दिसम्बर, 1998 तक यह स्थापित थी या नहीं थी यही मंत्री जी बता दें ।

श्री हुकुम सिंह–

इसमें आवेश में आने की बात नहीं है । मुकदमा कायम हुआ मुकदमें के बाद रणबहादुर और बगरे आलम के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ ।

श्री लालजी वर्मा–

नवम्बर, दिसम्बर, 1998 में प्रतिमा चोरी हुई उसमें एफ० आई० आर० दर्ज हुई ।

श्री हुकुम सिंह–

इसी पर आ रहा हूं–जुर्म साबित न होने के कारण पहले मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई । 28/29 रात्रि में खलिहान में बाबा साहब की मूर्ति चोरी चले जाने की सूचना संतराम ने थाना कोतवाली पर दर्ज कराई जिसका मुकदमा 484, 379, 295 भारतीय दण्ड विधान की धारा 3/4 अज्ञात वक्त पंजीकृत किया गया । कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्यवाही की जाएगी । 29 नवम्बर की बात है फरवरी चल रही है फूंक मारकर काम नहीं होता है समय लगता है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

अभी यह कह रहे थे कि फर्जी है ।

श्री हुकुम सिंह–

दूसरा वाला जो है । 1997 में मुकदमा कायम हुआ जिसमें तथ्य गलत थे खलिहान पर कब्जे का मामला था । वह दूसरी घटना थी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस घटना का जिक्र किया....

श्री हुकुम सिंह–

दोनों का जिक्र किया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा 1-7-97 को लगाई गई प्रतिमा अवाछनीय तत्वों द्वारा गायब कर दी गई अब यह कहना कि बाबा साहब के पुजारी हैं बाबा साहब का सम्मान करते हैं बाबा साहब का कितना सम्मान करते हैं वह अम्बेडकर पार्क से नजर आ रहा है, हजरतगंज में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है मान्यवर, इससे पता चलता है कि यह बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी का कितना सम्मान करते हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी विषयान्तर हो रहा है । नोटिस में आपका नाम भी नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को गुमराह न करें । जो उन्होंने अभी यह कहा है कि हम उनके ऋणी हैं और उनका सम्मान करते हैं तो बहन मायावती जी ने जो गोमती नगर में अम्बेडकर पार्क बनाया था और हजरतगंज में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है उससे यह स्पष्ट होता है कि यह कितना सम्मान कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट और विस्तार से बता दिया है अब आप बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सूचना के प्रति कितने गम्भीर हैं यह मैं बता देना चाहता हूं। माननीय वर्मा जी विद्वता की मूर्ति हैं। मान्यवर, जनपद अम्बेडकर नगर में थाना टांडा अन्तर्गत ग्राम बलया जगदीशपुर में दो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित थीं जिसे कुछ ग्राम के लोगों ने चोरी कर लिया। यह कब चोरी हुई? कैसे चोरी गयी? किस वर्ष में किया? तो यह नियम–56 की सूचना है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि फलां तारीख में चोरी हो गयी और फलां तारीख में मुकदमा कायम हो गया। एक जनरल लिखा है और जनरल में जब-जब घटना हुई सबका उल्लेख कर दिया। आप कितने गम्भीर हैं?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, चोरी हुई जांच करने का बिन्दु आपका है। कब हुई और निश्चित रूप से यह बाबा साहब का अपमान करना चाहते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बाबा साहब की प्रतिमा पुनः लगायी जायेगी या नहीं लगायी जायेगी?

(कोई जवाब न आने पर)

मान्यवर, यह जानबूझकर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं करना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का परिचायक है। मान्यवर, इनके इस कृत्य के उपलक्ष्य में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री लालजी वर्मा सदन का त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय सदस्य की सूचना जनपद अम्बेडकर नगर के थाना टांडा अन्तर्गत ग्राम बलया जगदीशपुर में डा० भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा चुराये जाने के सम्बन्ध में, को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना ग्राह्य नहीं है इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं। अब मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह अत्यन्त दुखद घटना है। इसमें विवश होकर कार्य स्थगन के माध्यम से इसे उठाने का दुखद अवसर मिला है। हम नित्यप्रति समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और नित्यप्रति यह देख भी रहे हैं कि समाज के कमजोर तबके के लोगों के साथ, दलित वर्ग के लोगों के साथ दुव्यर्वहार और उत्पीड़न की घटनायें हो रही है। मान्यवर, आज समाज के कुछ मानसिक रूप से विकृत लोग समाज के मासूम बच्चों, जिनकी आयु सात, आठ या नौ साल है उनके साथ बलात्कार करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं

(समय 1 बजकर 45 मिनट)

मान्यवर, ये घटनायें कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, कानून का जरा भी जिसमें आदर हो। मान्यवर, इस घटना की सार्वजनिक निन्दा तो होनी चाहिए और उस व्यक्ति को सामाजिक रूप से बहिष्कृत भी करना चाहिए। मुझे दुख है कि इस सरकार में ऐसे लोगों के हौसले बुलन्द हैं और उनको संरक्षण भी मिलता है। मान्यवर, यह शाहजहांपुर के कटरा थाने के अन्तर्गत घटित घटना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी 12 फरवरी को एक दलित परिवार रामेश्वर दयाल की मासूम बच्ची ममता जो आठ वर्ष की है उसको जन्देल सिंह यादव जो तिलहर के हैं और इस सरकार में फलते-फूलते और संरक्षण प्राप्त और समाज के दुश्मन हैं, दिनदहाड़े उस बच्ची को उठाकर ले जाते हैं और बलात्कार करते हैं । वहीं लड़की बेहोश हो जाती है और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी हालत बिगड़ जाती है । वह जाकर अपने माता-पिता को घटना का विवरण देती है और भुक्तभोगी परिवार के लोग थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिये जाते हैं उस लड़की के मेडिकल परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि होती है ।

मान्यवर, जो संविधान की अवधारणा है और जो आई० पी० सी० की धारा–375-76 है उसमें यदि 16 वर्ष तक के बच्चे के साथ बलात्कार होता है चाहे सहमति हो या न हो, बलात्कार-बलात्कार होगा और दोषी दोषी होगा । मान्यवर, यहां आठ वर्षीय बच्ची का मामला है मेरे पास वह परिवार आया । मान्यवर, अगर मेरे पास कोई शक्ति होती तो उस व्यक्ति के खिलाफ जितने भी सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती थी करता । लेकिन इसमें सरकार की क्या इच्छा है ? मान्यवर, अगर ऐसी कुरीतियों को संरक्षण मिला तो समाज सुरक्षित नहीं रहेगा । ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए । बहुत सी ऐसी घटनायें तो मान्यवर, शर्म और डर के कारण प्रकाश में नहीं आती हैं । इसमें तो दलित व्यक्ति ने प्रयास किया है उसको धमकियां मिल रही हैं । उसको गांव से निकाला जा रहा है । लोगों में भी आक्रोश है । मान्यवर, जो नामजद व्यक्ति है वह स्वच्छन्द घूम रहा है और शिकायत करने वाले को धमकियां मिल रही है । ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कहीं न कहीं ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे इन घटनाओं को रोका जा सके । इसमें दो जांचें हों एक तो घटना के बारे में दूसरे जो संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की और दोषी लोगों को दण्ड क्यों नहीं दिया और लड़की के परिवार वालों को बुलाकर सुलह कराने की कोशिश क्यों की ? मान्यवर, इसमें सरकार दलगत भावना से ऊपर उठकर एक पुलिस महानिरीक्षक के स्तर के अधिकारी को शाहजहांपुर भेजे वह इस घटना की सत्यता की जांच करे और भुक्त-भोगी परिवार को संरक्षण प्रदान करे । मान्यवर, जो व्यक्ति नामजद है उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह घटना 12-2-99 की है और अपराध संख्या 37/99 धारा 376 जन्देल सिंह यादव के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया । यह कु० ममता का मामला है उसकी उम्र 8 वर्ष की थी यह बात सही है । वहां के पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक दोनों ने स्थल का निरीक्षण किया और क्षेत्राधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा इसकी जांच करायी जा रही है । जिस व्यक्ति को नामजद किया गया है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है । सी० ओ० आगे की भी जांच कर रहे हैं । यह लड़की दो दिन अस्पताल में रखी गयी, परीक्षण किया गया और जब स्वस्थ हो गयी तो वहां से आने दिया । शासन प्रशासन सतर्क है, सचेत है और कार्रवाई चल रही है ।

श्री प्रमोद कुमार–

कब गिरफ्तार किया गया है यह बता दें । जब सूचना मैंने दी है उसके बाद गिरफ्तार किया गया है । मान्यवर, मैं यह अनुरोध कर रहा हूं अगर यह कहते हैं कि एफ० आई० आर० लिखी गयी गिरफ्तारी हो गयी तो एक उच्चस्तरीय अधिकारी डी० आई० डी० या आई० जी० को क्यों नहीं भेज देते जो यह देखे कि अब तक गिरफ्तार न करके क्यों छोड़ रखा गया था इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें तथ्यों में कोई विवाद नहीं है अगर विवाद रहा होता तो बात दूसरी होती । यह एक बहुत ही घिनौनी घृणित घटना है एक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति ने इस पाप को किया है । जांच जहां होनी है उससे हटकर दूसरी जांच चलाई जाय यह कहां ठीक है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं मेरी जितनी शक्ति है मैं प्रयास करता रहूंगा । मान्यवर, जब वह लखनऊ आ गयी और मैंने सूचना सरकार को दे दी तो गिरफ्तार कर लिया गया । आपने स्वीकार किया कि एफ० आई० आर० दर्ज कर ली गयी और गिरफ्तार कर लिया गया । इससे सम्बन्धित क्षेत्र के थानेदार ने 13, 14, 15 को गिरफ्तार कर लिया होगा । कब गिरफ्तार कर लिया गया आप नहीं बता पा रहे हैं ? मैं बार-बार कह रहा हूं कि उसको बुलाकर दबाने का प्रयास किया गया जो भुक्त-भोगी परिवार है उससे कहा गया कि सुलह कर लो । ऐसी घटनाओं में पुलिस का कर्तव्य था कठोर कार्यवाही करने का लेकिन पुलिस उसको दबाने का कार्य कर रही थी, इसकी जांच डी० आई० जी० से करा लें । आपका यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस लिये बना है । ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ऐसे लोगों के लिये ही बना है क्या सरकार ऐसे लोगों को दण्डित करने का आश्वासन देगी और डी० आई० जी० से इसकी जांच करायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह तो बताने में कुछ कमी रही है मैंने कहा कि जनपद में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी वहां का पुलिस अधीक्षक होता है । पुलिस अधीक्षक स्वयं अपर पुलिस अधीक्षक दोनों ने घटना का निरीक्षण किया और जांच क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं और जांच के साथ-साथ जो प्रभावी कार्यवाही थी वह हो चुकी है अब आगे क्या कार्यवाही होगी मैं सदन में खड़ा होकर ये कहूं कि फला धारा फला धारा में बन्द होंगे तो स्थानीय प्रशासन क्या करेगा ? मान्यवर, जो भी उपयुक्त दण्ड होगा वह दिया जायगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह 12 तारीख की घटना है इसमें पुलिस की क्या भूमिका रही है ? अगर वह तत्परता से काम किये है और वहां कोई बड़ा अधिकारी चला जायगा और जांच कर लेगा तो पुलिस की भूमिका भी नजर आ जायेगी अगर वह अच्छा काम किये हैं तो उनको अवार्ड मिले हमें खुशी होगी। इस राक्षस के खिलाफ पुलिस कितनी सक्रिय होकर काम की है ।–उसकी क्या भूमिका रही है ? इसके बारे में क्या उच्चाधिकारी को भेजकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी आत्मा कांप रही है भुक्त-भोगियों से मिलने के बाद हमारे और आपके बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं है । मैंने आग्रह किया तो वह गिरफ्तार हो गया । आपने मान लिया कि उम्र आठ साल की थी और एफ० आई० आर० दर्ज हो गयी । वहां पर जो निरन्तर प्रयास हुआ है 5-6 दिन इस घटना को दबाने का उसकी जांच डी० आई० जी० से करा लें तो अनुचित क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

मैं इस सम्बन्ध में यह जानकारी निश्चित तौर से कर लूंगा कि अगर मामले को दबाने का कोई प्रयास किया गया है, या गिरफ्तार करने में कोई कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप जांच करा लें ।

श्री हुकुम सिंह–

पहले हम जानकारी तो कर लें, कब गिरफ्तारी हुई है ? पुलिस अधीक्षक जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उन्होंने खुद मौके का निरीक्षण किया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

यदि जिले की पुलिस से न्याय मिलता तो हम यहां विधान सभा में क्यों आते ? मैं इन पर पूरा विश्वास करता हूं। कटरा से बरेली की दूरी 50–55 किमी० है, वहां बरेली के डी० आई० डी० रेंज बैठते हैं। आप उनको वहां भेज दें और वह पुलिस की भूमिका के बारे में जांच कर लें। अगर वह संतुष्ट होते हैं तो आप यहां बता दीजियेगा और नहीं होते हैं तो बात साफ हो जायेगी। यह घटना मुझे बराबर उद्वेलित कर रही है, इस मामले में सरकार जिद न करे।

श्री अधिष्ठाता–

आपके आग्रह को मैंने गम्भीरता से लिया है और मैं निर्देश दे रहा हूं। जनपद शाहजहांपुर के कटरा थानान्तर्गत एक दलित बालिका के साथ बलात्कार के मामले पर मैंने माननीय प्रमोद कुमार को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी सुना। उपरोक्त सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती अतः इसे मैं अग्राह्य करता हूं। किन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि यह अत्यन्त गम्भीर विषय है और आप इसे थोड़ा व्यक्तिगत रूप से दिखवा लीजियेगा कि जो प्रकरण आया है, जो पुलिस के द्वारा मामले को दबाने की बात कही गई है, कोताही बरती गयी है, उसके सम्बन्ध में एक सन्देश जाय कि शासन इस पर गम्भीर है और यदि इसमें किसी का दोष पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख और पीड़ा है। आठ वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। इन्हीं जैसी सरकारों के रहते मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लखनऊ में जेल अधीक्षक मारा जाता है, अगर सरकार जरा सा भी इसको गम्भीरता से ले तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ऐसी घटनायें सिर्फ इसलिये हो रही हैं, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन अब कहना पड़ेगा कि जो सम्बन्धित व्यक्ति है, वह भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार में जो राज्य मंत्री हैं, का प्रतिनिधि है, इसलिये सरकार ने कार्यवाही नहीं की। मैं इस बात को दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं, इसी कारण मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने शासन को निर्देशित कर दिया है कि वह इस पर संतुष्ट हो लें कि अगर लापरवाही बरती गई है, उपेक्षा बरती गई है, ऐसा कुछ संज्ञान में आता है तो जरूर कार्यवाही होगी।

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मामला गम्भीर है और आठ वर्ष की दलित बालिका के साथ बलात्कार का मामला तथा पुलिस इसमें आनाकानी कर रही है। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में पुलिस अधिकारी, डी० आई० जी० से जांच करायी जाय। यदि सरकार दलितों के साथ जो उत्पीड़न और बलात्कार की घटनायें हो रही हैं वे बंद हों और पुलिस जो निरंकुशशाही और तानाशाही जो हो गयी है उस पर रोक लगे तो सरकार को डी० आई० डी० से जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसलिये अधिष्ठाता महोदय जी आप निर्देश दें कि सरकार इस सम्बन्ध में डी० आई० जी० से जांच करायें।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सरकार को पहले निर्देश दे दिया है कि इस मामले में सरकार गम्भीरता से देखे और यदि सरकार को संतोष नहीं होता है तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

(व्यवधान) सरकार डी० आई०० जी० से जांच करायेगी तो सारी चीजें साफ हो जायेंगी किन्तु थाने की पुलिस से जांच करायी जायेगी तो एस० पी० पुलिस की गलती को उजागर नहीं करेगा चूंकि वे एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं । सरकार दलित उत्पीड़न के मामले में गम्भीर नहीं है इसलिये कार्यवाही करने में हिचकिचा रही है । मान्यवर, सरकार के इस दलित विरोधी रवैये के कारण हम और हमारी पार्टी सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन से उठकर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सरकार के दलित विरोधी रवैये के कारण हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है । मान्यवर, भारत सरकार के राज्य मंत्री के हस्तक्षेप के कारण सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है । इन शब्दों के साथ मैं सदन का पूरे दिन के लिए बहिष्कार करता हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार सहित कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्य सदन से उठकर चले गये एवं पुनः वापस आकर)

सदन में कोरम का अभाव का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सदन में कोरम पूरा नहीं है, सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए । मैं कोरम का प्रश्न उठा रहा हूं ।

(मैं सदन का त्याग करता हूं)

श्री अधिष्ठाता–

कोरम के लिये घंटी बजायी जाये ।

(2 बजे कोरम की घंटी बजायी गई । 2 बजकर 5 मिनट पर कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री अधिष्ठाता–

अब कोरम पूरा हो गया है । मैं कार्यवाही को आगे बढ़ाता हूं ।

(मद सं०–7 पुकारे जाने पर)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह तो ठीक है कि कोरम को रखना सत्ता पक्ष का दायित्व है और इस दायित्व से नहीं हटना चाहिए । लेकिन परम्परा है कि जीरो प्रहर विरोध पक्ष का होता है उसमें कोरम का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए । आज विशेष रूप से असरकारी दिवस है । असरकारी सदस्यों के संकल्प हैं इसलिये कोरम का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए । वर्मा जी बैठे हुए हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं ऐसे अवसर पर यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक लज्जा होती है और एक निर्लज्जता होती है । लज्जा आज भी नहीं है । एक सरकार में 100 मंत्री हैं उस सरकार में कोरम के अभाव में 5–7 मिनट घंटी बजती है, कोरम का इंतजार होता है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी [× × ×] का बहाना करते हैं ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये कांटीनेंटल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री बरगढ़, जिला छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को चालू कराने का संकल्प

श्री दद्दू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे दिनांक 3 जुलाई, 1998 को इस विधान सभा में प्रस्तुत किये गये संकल्प प्रस्ताव पर बोलने के लिये मौका दिया ।

मान्यवर, प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये एक महत्वपूर्ण फैक्टरी का शिलान्यास किया गया था परन्तु कतिपय कारणों से उसका निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है । लगभग 200 करोड़ रुपये की पूंजी उस कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री बरगढ़, जिला चित्रकूट में लग चुकी है और उसका निर्माण अधर में लटका हुआ है । इस दिशा में मैं पूरे सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिये यह संकल्प प्रस्ताव लाया था । दिनांक 28 जून, 1989 को बरगढ़, जिला बांदा जो इस समय चित्रकूट में है । फ्लोट ग्लास बनाने के लिये एक महत्वाकांक्षी परियोजना का बहुत प्रसार-प्रचार करके शिलान्यास किया गया था । ग्राम कलचियां, अरवारी आदि गांव जो जनपद चित्रकूट के हैं उसके गरीब कोलों की करीब 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था उसका अधिकांश मुआवजा नहीं दिया गया । प्रारम्भ में इस परियोजना की लागत 249.14 करोड़ आंकलित की गयी थी और फरवरी, 1992 में इस परियोजना का निर्माण पूरा होना था परन्तु सरकार की उदासीनता के कारण परियोजना के निर्माण में विलम्ब हुआ फलस्वरूप परियोजना लागत में वृद्धि हुई । 1992 में पुनः इसका मूल्यांकन किया गया तब परियोजना की लागत 442.16 करोड़ रुपये आंकी गयी ।

वर्तमान में हालत यह है कि इसका सिविल कार्य पूरा हो गया है, फ्लोट ग्लास की उत्पादन भट्ठी बनकर तैयार हो गयी है, अधिकारियों के रहने के लिये 20 बंगले, कर्मचारियों के रहने के लिये कालोनियां बनकर तैयार हो गयी हैं । कार्य संचालन तथा नियंत्रण के लिए एक विशाल अधिशासी भवन तैयार हो गया है । एक विशाल कार्यशाला भी बनकर तैयार है । परियोजना स्थल पर अन्तर्गामी सड़कें तथा रेल लाइन भी बनकर तैयार हैं । टाउन्शी बाल बन गयी है । जलापूर्ति की पूरी व्यवस्था की गयी है । इस परियोजना की मशीनें यूनाइटेड किंगडम (यू० के०) से आयात की गयी थी और वह बम्बई के बन्दरगाह पर पड़ी हुई सड़ रही हैं । अधिकारियों की लापरवाही के कारण वह समय से छुड़ायी नहीं जा सकी अतः 100 करोड़ रुपये मूल्य की मशीनों पर डैमरेज चार्ज ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है । सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 193 करोड़ रुपया अब तक इस परियोजना पर खर्च हो चुका है । 442.16 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर लगभग आधी पूंजी खर्च हो चुकी है और अब इसको रोक दिया गया है । कहा जाता है कि इसको शासन ने बन्द करने का निर्णय लिया है । इससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

मान्यवर, अब मैं परियोजना की आवश्यकता के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । बरगढ़, चित्रकूट, बांदा के साथ ही इलाहाबाद जिले की सीमा पर स्थित है और यह उद्योग शून्य जिला है । यहां खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ।

उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं पाया जाने वाला बाक्साईड, हमारे विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में पाया जाता है । उत्तम क्वालिटी का फ्लोट ग्लास बनाने के लिये यहां सिलिकासैंड पाया जाता है और उसकी उपलब्धता के कारण ही परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया गया था । परियोजना की स्थापना की खबर सुनकर यहां के नौजवानों में एक आशा की किरण जगी थी और नौजवानों ने विकास के लिये नये-नये सपने संजोये थे । मैं कहना चाहता हूं कि बिना औद्योगीकरण के हम विकास नहीं कर सकते । हमारे नीति नियामक बड़े गर्व के साथ यह कहते हैं कि 72 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं । आज दुनिया में जीविकोपार्जन के नये-नये तरीके खोजे हैं । दुनिया के लोग चन्द्रमा और मंगल ग्रह पर झण्डा गाड़ चुके हैं । वहीं हम अधिकालीन खेती पर निर्भर हैं । खेती भी कैसी बिल्कुल वैसे जैसे 3 हजार वर्ष पूर्व से कराई जा रही है । दो बैलों के पीछे एक तीसरे बैल को रखा गया है । हम बिल्कुल स्थिर हो गये हैं । हम काफी पिछड़ गये हैं बिल्कुल जड़वत हो गये हैं । हमारे शास्त्रों ने झूठे घमण्ड पर

बल दिया है हम अतीतमुखी हो गये हैं हम अतीत के प्रशंसक हैं, अतीत से सम्मोहित जो कौमें दुनिया में होती है वह भविष्य अपना बरबाद कर लेती है। वह भविष्य को नहीं तय कर पाती हैं। चूंकि अतीत से सम्मोहित लोगों को जगत मिथ्या नजर आता है वह भविष्य देख नहीं सकते और अतीत में जाने का रास्ता नहीं है अतः हम स्थिर होकर रह गये हैं। भ्रामक है यह बात सच्चाई यह है कि अतीत निकृष्टतम था। भविष्य उत्तम होगा। विकास के लिये उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास के सिद्धान्तों को साकार करना होगा। भविष्य के सपने बुनने होंगे और अगर खेती के बल पर जिस पर 72 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर करती है आगे बढ़ने की बात करते हैं तो यह सम्भव नहीं है। भविष्य के विकास के लिये औद्योगीकरण करना होगा। ऐसा उद्योगीकरण जिसमें लोग खेती करें तो लगे कि उद्योग हो रहा है। आज हालत यह है कि हम उद्योग भी करते हैं तो लगता है कि खेती कर रहे हैं। जब उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो खेती पर दबाव कम होगा और रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। कम लोगों के पास ज्यादा खेती होगी तो बेहतरी होगी। उद्योग को बढ़ावा देने के लिये उद्योग के क्षेत्र में पूंजी लगानी होगी।

प्रदेश में उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह परियोजना प्रारम्भ की गयी थी। प्रारम्भ में इस परियोजना के चार साझीदार थे। उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम की 26 प्रतिशत साझेदारी थी। सी० सी० एल० की 10.66 प्रतिशत साझेदारी थी। बहरीन की गल्फ कम्पनी की 9 प्रतिशत और यू० के० की थिलिंग्टन की 5.34 प्रतिशत साझेदारी और 49 प्रतिशत साझेदारी पब्लिक सेक्टर की थी। प्रारम्भ में इसका प्रबन्धन सी० सी० एल० ने चलाया बाद में किन्हीं रहस्यमय कारणों से सी० सी० एल० को प्रबन्धतंत्र से हटना पड़ा और परियोजना संकटग्रस्त होती चली गयी। 1992 में यू० के० से 100 करोड़ की मशीनरी मंगाई गई थी वह बम्बई पोर्ट पर पड़ी है। सी० सी० एल० के हटने के बाद इसका प्रबन्ध तंत्र उ० प्र० राज्य खनिक विकास निगम के हाथ में गया जिससे नये सह प्रवर्तक की तलाश प्रारम्भ हुई। दुर्भाग्यवश यह इच्छाशक्ति के अभाव में यू० पी० एम० एम० डी० सी० को कोई सह प्रवर्तक नहीं मिल पाया। कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री के संबंध में मैंने 25 मार्च, 1997 को नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। सरकार ने उस समय बताया कि यू० एस० ए० की कम्पनी यूनाइटेड इन्डस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से बात की है। वह इस परियोजना में मुख्य प्रवर्तक के लिये तैयार हैं ऐसा बताया गया था। 8 जनवरी, 1997 को यूनाइटेड इन्डस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट लि० के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो गये हैं। मैं वर्तमान में मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह वर्तमान में इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें। जिला चित्रकूट तथा इलाहाबाद के पठारी भाग की ओर से यहां पर यह परियोजना स्थापित की जा रही है यह क्षेत्र उद्योग शून्य है, कृषि योग्य भूमि की कमी है जो भूमि है भी वह पठारी होने के कारण अनुपजाऊ है ज्यादातर भूमि वन विभाग या बड़े लोगों के कब्जे में है। कमजोर लोगों के पास जमीन नहीं है। जो जमीन थोड़े से कमजोर लोगों के पास खतौनी में उन्हें मिली है उस पर दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। सिंचाई साधनों की शून्यता है।

यहां के निवासी बेरोजगारी, निर्धनता, भुखमरी के शिकार हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या के लगभग आधा भाग आदिवासी कोल जाति की हैं जो कि हिन्दू धर्म शास्त्रों की तमाम वर्जनाओं तथा प्रतिबन्धों के कारण सामाजिक शोषण तथा उत्पीड़न के शिकार हैं। इनको बंधुआ मजदूर जबरिया पकड़कर बना लिया जाता है। इस क्षेत्र में मजदूरी 5 पाव जो मिलती है। गरीबी व मजबूरी में होती हैं। मां-बहनें अपना आधा तन नंगा रखती हैं, कोल ललितायें सत्ता के दलालों की हवस की शिकार भी होती है। इनको आधे पेट रखा जाता है। यह लोग दबंग लोगों के जुल्म ज्यादाती के शिकार हैं। परिस्थितियों से दुखी होकर यहां के लोगों ने बड़े शहरों को पलायन किया है। वह झुग्गी झोपड़ी में कीड़े मकोड़े की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। यह भी सही है कि जब जीविका का कोई साधन लोगों के पास नहीं है तो कोल आदिवासियों ने पेट की आग बुझाने के लिये जंगल को काटना चाहा है। या फिर

स्वाभिमान के लिये मां बहनों की इज्जत की रक्षा के लिये बन्दूक भी हाथ में उठायी है। गैंग बनाकर जंगल की शरण ली है। यही कारण है कि एक लम्बे समय से वह क्षेत्र दस्यु समस्या से जूझ रहा है और यह दस्यु गिरोह शोषण उत्पीड़न गरीबी बेरोजगारी के शिकार लोगों की सहानुभूति पाकर उनका नेतृत्व करते हैं। मान्यवर, मैं एक बार अखबार में पढ़ रहा था कि पचास करोड़ रुपये खर्च करके भी सरकार नहीं पकड़ पा रही है ददुवा को मैं कहना चाहता हूं कि ददुवा के उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को सामाजिक असंतुलन शोषण तथा उत्पीड़न का है। सामाजिक असंतुलन, शोषण और उत्पीड़न उस क्षेत्र की समस्या बनी हुई है। हमारे क्षेत्र में खनिज सम्पदा तथा वन सम्पदा का प्रचुर भण्डार उपलब्ध है परन्तु उसका कोई संरक्षण तथा उपयोग नहीं है। बरगढ़ के पास सिलिका सैण्ड हमारे यहां मौजूद है, उससे कांच बनाया जाता है। इसलिये यह परियोजना वहां पर स्थापित की गयी थी।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस परियोजना को वहां पर चालू कर दिया जाय तो वहां की तमाम समस्यायें अपने आप हल हो जायेंगी और जो यह दस्यु समस्या है, उसका भी अंत हो जायेगा और इस परियोजना के चालू होने से लोगों को रोजगार भी मिल जायेगा, जिससे वह दस्यु गिरोहों के पीछे से हट जायेंगे और दस्यु गिरोहों का सफाया हो जायेगा। इस परियोजना के चालू होने से हमारे क्षेत्र की बंधुवा मजदूरी समाप्त हो जायेगी और विकास को एक अच्छी दिशा मिलेगी। इस परियोजना के चालू होने से कांच के लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और जंगल का विनाश रुकेगा। कांच के तमाम लघु उद्योग इसके लिये प्रतीक्षारत हैं। जहां तक मुझे जानकारी है इस परियोजना का प्रतिदिन उत्पादन लक्ष्य 450 टन फ्लोट ग्लास प्रतिदिन का है तथा इसका वार्षिक टन ओवर 188 करोड़ रुपया है और सरकार को केवल 100 करोड़ रुपये खर्च करने हैं या फिर पूंजी निवेश के लिये किसी कम्पनी को तैयार करे तो 200 करोड़ रुपये तो वित्तीय संस्थायें दे ही देंगी। पता नहीं इस परियोजना से सरकार ने क्यों हाथ खींच लिये हैं। इस परियोजना के ठप्प होने से हमारे जिले में तथा इलाहाबाद जिले में बहुत बड़ा जनाक्रोश पैदा हो गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने घुरपुर इलाहाबाद की त्रिवेणी फ्लोट ग्लास कम्पनी से सांठ-गांठ कर रखी है। यह स्पष्ट है कि कांटीनेंटल फ्लोट ग्लास बरगढ़ के चालू होने से इस त्रिवेणी फ्लोट ग्लास को कच्चा माल मिलना मुश्किल हो जायेगा और वह घाटे में भी जा सकती है अतः उसको संरक्षण देने के लिये सरकार इस परियोजना को बेचने का निर्णय ले लिये है। यदि ऐसा होता है तो मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि कहावत है– "गुड़ दिखाकर ईंटा मारना"। अगर यह गुड़ दिखाकर ईंटा मारने की कोशिश करेंगे तो यह देख लें कि एक भयानक क्षेत्रीय जन आन्दोलन शुरू हो जायेगा। यह आन्दोलन कोई भी मोड़ ले सकता है। वहां पर जो हजारों लोग तेन्दू पत्ता तोड़ने का काम करते हैं यदि वे लामबन्द हो गये तो और पत्ता तोड़ने का काम बन्द कर दिया तो सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। आपको करोड़ों रुपये के राजस्व का घाटा उठाना पड़ेगा।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कुछ बातें जो तात्कालिक रूप से करने के योग्य हैं उन्हें करें। आपने परियोजना पर लगे कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मचारियों को 24 महीने से वेतन नहीं दिया। जो कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री के कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं दिया, वहां की बिजली आपूर्ति रोक दी गई, कनेक्शन काट दिया गया, वहां पर जो टेलीफोन लगा था उसको काट दिया गया। वहां पर रात में अन्धेरा रहता है जिससे चोरी हो जाती है। बहुत सा लोहा, सरिया आदि सामान वहां से अभी भी चोरी हो गया है। अभी भी जो कुछ सामान पड़ा है अगर उसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो मैं साफ शब्दों में सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर आप इतने उदासीन हो गये कि जितने कर्मचारी सुरक्षा में लगे थे उनकी संख्या कम कर दी है और बाकियों को वेतन नहीं दिया है तो फैक्ट्री में बेचने के लिये भी कुछ नहीं मिलेगा। चोर माल ले जायेंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के व्यापक हित में प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये इस परियोजना को चालू करने के लिये सरकार ठोस उपाय करे। स्पष्ट और सही जानकारी सदन में रखे। सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, उसको चलाना चाहती है कि नहीं। सरकार बेरोजगारी को खत्म करना चाहती है कि नहीं। सरकार वहां के बेरोजगारों को रोजगार देकर दस्यु समस्या का अन्त करना चाहती है कि नहीं। सरकार पूरी स्थिति स्पष्ट करे और सरकार की नीति क्या है ? औद्योगीकरण को बढ़ावा देना चाहती है या उसको ठप्प करना चाहती है। अन्त में मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सम्मानित सदन में विचार रखने का मौका दिया। सरकार से भी अपेक्षा है कि अपने क्षेत्र की जनता की करुण पुकार आपके माध्यम से सदन में रखी है सरकार उस परियोजना को चलाये जाने के लिये ठोस निर्णय ले ताकि हम भी सरकार को धन्यवाद दे सकें इस परियोजना को चालू करने पर। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। इलाहाबाद, बांदा, चित्रकूट और कौशाम्बी की जनता से, वहां की बेरोजगारी से, विकास से और औद्योगीकरण से जुड़ा सवाल है। मेरा निवेदन है कि सरकार उस फैक्ट्री को चालू करने के लिये ठोस निर्णय ले। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं पुनः एक बार आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

* सहकारिता मंत्री (श्री राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री 24 अप्रैल, 1984 में लगी और सन् 89 में कार्य प्रारम्भ हुआ। इसके प्रबन्धन का कार्य मेसर्स कान्टीनेन्टल कान्स्ट्रक्शन कं० लि० देखती थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा किया जा रहा है। प्रारम्भ में लागत 192 करोड़ के लगभग आंकी गयी थी इसके आगे वर्ष 1987 में यह लागत संशोधित होकर 249.14 करोड़ रुपया आंकी गई उस समय कुछ कारणोंवश यह परियोजना लम्बित रही इसके बाद संशोधित लागत 1996 में जो आंकी गयी वह 425 करोड़ हो गई विभिन्न प्रवर्तकों की अंशपूंजी जो निर्धारित की गई वह इस प्रकार थी खनिज विकास निगम 26 प्रतिशत, गल्फ प्रवर्तक 9 प्रतिशत, पिलकिंगटन 5.34 प्रतिशत, कान्टीनेंटल कान्सट्रक्शन लिमिटेड 10.66 प्रतिशत इस प्रकार इस परियोजना पर अब तक लगभग रु० 193 करोड़ रुपया खर्चा किया जा चुका है इसमें लगभग रु० 95.70 करोड़ के उपकरण विदेश से आयात किये गये थे। वह आयातित उपकरण निगम द्वारा पर्याप्त पूंजी न होने के कारण, निगम द्वारा नये सह-प्रवर्तक की तलाश प्रारम्भ कर दी गयी लेकिन उनके द्वारा परियोजना में धन निवेश नहीं किया।

नये सह प्रवर्तक का चयन न होने के कारण वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की शेष धनराशि अवमुक्त नहीं की गई और न ही अन्य प्रवर्तकों द्वारा अवशेष अंशपूंजी निवेशित की गई जिसके कारण पोर्ट पर पड़े उपकरणों को डैमरेज आदि का भुगतान करके छुड़ाया नहीं जा सका। मान्यवर, फिर कन्टेनर कम्पनी ने धनराशि का भुगतान न होने के कारण एक वाद माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई में दायर कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने कन्टेनर्स दिनांक 31 मार्च, 1998 तक खाली कराये जाने के निर्देश मुम्बई ट्रस्ट को दिये उसके तहत जो स्थिति सामने आये वह यह थी कि माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई के आदेशों के अनुपालन में नीलामी की कार्यवाही पोर्ट ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई ताकि कन्टेनर्स कम्पनी को वापस किये जा सकें। श्रीमन् वीडियोकान द्वारा लगभग रु० 5.06 करोड़ की अधिकतम बोली 6 मार्च, 1998 को लगाई गई लेकिन बोर्ड ने इसकी पुष्टि नहीं की और दुबारा नीलामी की गई। श्रीमंत गुजरात डाइस्टफ इण्डस्ट्रीज द्वारा आयातित उपकरणों की बोली रुपये 12.50 करोड़ दी गई जिस पर मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दिनांक 12 मई, 1998 को पुष्टि कर दी गई।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्लेखन नहीं किया।

श्रीमन्, इस नीलामी को कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास कम्पनी तथा सह-प्रवर्तक गल्फ मैरीन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई परन्तु रिट याचिका निरस्त कर दी गई। इसके बाद मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गई जिस पर सुनवाई के पश्चात् प्रकरण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः मुम्बई उच्च न्यायालय को सुनवाई हेतु निर्देशित करते हुए वापस कर दिया। मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 1998 को पारित आदेश के तारतम्य में रु० 26 करोड़ की धनराशि जमा कराया जाना सम्भव नहीं रह गया। दिनांक 24 अगस्त, 1998 को मेसर्स हरियाणा शीट ग्लास लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा एक अनुपूरक अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया परन्तु वित्तीय संस्थायें अभी भी हरियाणा शीट ग्लास लिमिटेड को वित्तीय सहायता देने पर सहमत नहीं हैं। मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट पड़े उपकरणों की नीलामी हो चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका अभी भी लम्बित है। ऐसी स्थिति में इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सम्भव नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की नीति और नीयत के बारे में इनको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वर्तमान में यह प्रकरण न्यायालय में है सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में औद्योगिक स्थिति ठीक हो लेकिन वर्तमान में यह मामला अदालत में लम्बित है इसलिये इसमें कुछ कहना उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे कृपया सरकार की नीति और नीयत पर संदेह न करें और जो वर्तमान परिस्थिति है इसके बारे में समझने का प्रयास करें।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़े संक्षेप में एशिया की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्टरी के बारे में जानकारी रखी है। मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि सरकार की मंशा क्या है। उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय का हवाला देकर बात को टाल दिया है। उन्होंने यह कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आलेकक में कुछ कहना उचित नहीं है। अगर माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से कार्यवाही निस्तारित होती है तो सरकार की मंशा क्या है ? सरकार उस फैक्टरी को चालू कराने की इच्छा रखती है या बेचने की इच्छा रखती है। इसमें 200 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और जो कान्स्ट्रक्शन हो गया उसको अलग नहीं ले जा सकते हैं। यह सरकार उसको औने पौने दामों में बेचना चाहती है। मशीन के मामले में 100 करोड़ की मशीन है और 5.06 करोड़ में नीलाम हो गयी फिर बहरीन की कम्पनी के ओब्जेक्शन किया तो दोबारा बोली लगी और 12 करोड़ रुपये की बोली हुई। यू० पी० एच० एम० डी० सी० कम नीलामी के खिलाफ अदालत में नहीं गयी इनको जाना चाहिए था जो 26 प्रतिशत शेयर होल्डर है। 100 करोड़ की मशीन 5.06 करोड़ में नीलाम हो रही है, कबाड़ से भी कम कीमत पर। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें चेते और उसका स्पष्ट मत आयें कि वह इसमें क्या चाहती है।

श्री राम कुमार वर्मा–

सरकार ने तो अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। सरकार की औद्योगीकरण के बारे में नीयत साफ है। हम जो यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसके निर्णय के पहले कुछ भी कहने में अक्षम हैं।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी का बड़ा सम्मान करता हूं। मैं अभी नया सदस्य हूं और उनका शिष्य भी हूं। उन्होंने बड़ी साफगोई से अपने को बचा लिया। औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये यह सरकार कृत संकल्पित है यह उन्होंने कहा है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह मामला बम्बई उच्च न्यायालय से निस्तारित हो जायेगा तो क्या सरकार इसको चालू करायेगी या फिर बेचेगी।

श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले भी माननीय सदस्य की भावना का आदर करते हुए सरकार का पक्ष रख दिया है।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, चूंकि यह मामला प्रदेश के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने का है और जो यह बुन्देलखंड का पठार का भाग है वहां की करोड़ों की जनता की करुण वेदना, वहां के बेरोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। मैं वहां से चुनकर आता हूं। इसलिये मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि बम्बई माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी करें और जल्दी उसको निस्तारित करायें और निस्तारित कराकर पुनः चालू करने में इच्छा जाहिर करें। मान्यवर, अगर ऐसा नहीं करती है तो सरकार की जो औद्योगीकरण की नीति है, जो बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है, तो वह झूठ का पुलिन्दा है। यह पूरे प्रदेश में औद्योगीकरण को ठप्प करना चाहती है। यह 100 मंत्रियों का जम्बोजेट है और देश-प्रदेश के विकास से इस सरकार को कोई वास्ता नहीं है मैं अपने संकल्प प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य का आरोप है वह निराधार है। मान्यवर, हम तो इनकी करनी को भोग रहे हैं। हम तो प्रदेश को सही दिशा देना चाहते हैं। माननीय सदस्य पुरानी बात को याद कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि "प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री, बरगढ़, जिला छत्रपति शाहू जी महाराजनगर को शीघ्र चालू कराया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

ऐतिहासिक पर्यटन नगरी आगरा में 24 घण्टे अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का संकल्प

श्री अधिष्ठाता–

श्री केशो मेहरा जी, श्री राम बाबू हरित जी को संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर गये हैं। श्री राम बाबू हरित जी कृपया संकल्प प्रस्तुत करें।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं–"इस सदन का निश्चित मत है कि ऐतिहासिक, पर्यटन नगरी, आगरा में 24 घंटे अनवरत विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।"

मान्यवर, आगरा के निवासियों का यह सौभाग्य है कि आगरा में जो भी देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं वे आगरा आकर अपना सौभाग्य समझते हैं। आगरा एक ऐसा स्थान है जहां विशेष तरह के पयर्टन स्थल हैं, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, बुलन्द दरवाजा और सिकन्दरा। मान्यवर, वहां गरीब मजदूर अनुसूचित जाति के ज्यादातर लोग रहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगरा को पर्यटन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिये एक अग्रणी भूमिका अदा की है आगरा सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे स्थान का पर्यटन की दृष्टि से विकास हो सके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहां के उद्योगों को जिनसे धुआं या प्रदूषण की स्थिति पैदा होती थी निर्देश दिये कि प्राकृतिक गैस पर आधारित उद्योग यहां स्थापित किये जायें और यहां विद्युत की सुनिश्चित व्यवस्था हर समय रहनी चाहिए। ताज टैपिजियम जोन इसके अन्तर्गत आगरा

फिरोजाबाद एवं मथुरा तीन जनपद आते हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगरा शहर व ताजमहल के 40 कि०मी० व्यास में 24 घंटे विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश सरकार को निर्देश दिये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम बाबू हरित जी यह प्रस्तुत हो गया है, चर्चा इस पर जारी रहेगी कृपया स्थान ग्रहण करें।

जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में गोवर्धन जतीपुरा तथा राधा कुण्ड गांवों में लिए जा रहे 'आवागमन कर' तत्काल समाप्त किये जाने का संकल्प

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं :–

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गोवर्धन जतीपुरी तथा राधा कुण्ड गांवों में लिये जा रहे सभी प्रकार के 'आवागमन कर' तत्काल समाप्त किये जायं।"

मान्यवर, मथुरा नगरी अपनी अनूठी छवि रखती है जिसकी अपनी एक छाप है यहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। देश और विदेश से लोग यहां भ्रमण की दृष्टि से आते हैं मथुरा से जब वह कहीं और जाना पसन्द करते हैं तो गिरिराज गोवर्धन की तरफ जाना पसन्द करते हैं, मथुरा से 23 कि०मी० चलने के बाद गोवर्धन पहुंचते हैं गोवर्धन पहुंचने के बाद वहां लोग परिक्रमा के लिए जाते हैं परिक्रमा मार्ग में ऐतिहासिक दृष्टि से सभी स्थल हैं वहां राधा कुण्ड है, गोवर्धन, जतिपुरा है, मानस गंगा भी है और अन्य-अन्य स्थल हैं। जिनका एक ऐतिहासिक महत्व है। जहां भगवान कृष्णजतिपुरा में दिन में रहते हैं रात में शयन की दृष्टि से द्वारिका पुरी चले जाते हैं। मान्यवर, परिक्रमा मार्ग में उनको प्रवेश के रूप में जजियाकर अदा करना पड़ता है। उससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है जब उनके साथ दुव्यर्वहार होता है और जानबूझकर अभद्रता की जाती है। श्रीमन् जो श्रद्धालु आते हैं वहां वसूली कर रहे लोगों को थाने में बैठा लिया फिर उसके बाद पुलिस की मिलीभगत से वह छोड दिये गये फिर वह उत्पीड़न श्रद्धालुओं पर होता रहा। श्रीमन् यह हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड हो रहा है। मैं आज इस संकल्प के माध्यम से शासन के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि आप शासनदेश लागू कर देते है कि वसूली नहीं की जायेगी लेकिन ऐसा नहीं है वहां वसूली हो रही है। वह सड़क पर खड़े हो जाते है और वहां से गुजरने वाले सब वाहनों से जबरन वसूली हो रही है अड्डा पार्किंग के नाम पर

(समय 2 बजकर 45 मिनट)

मान्यवर, जो श्रद्धालु आते हैं उनको पर्यटन की दृष्टि से सुख-सुविधायें उपलब्ध कराने का हमारा दायित्व होता है। हम लोगों को आकर्षित करें कि लोग अपने इस धार्मिक स्थल पर अधिक से अधिक आयें और जो जिनका श्रद्धा भाव है उसमें आनन्द की अनुभूति लें। श्रीमन्, वहां प्रवेश पर उन पर्यटकों के साथ जो कुछ होता है वह तो होता ही है लेकिन जिनकी मान मर्यादाओं के साथ उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी होता है वहां उनके साथ मार-पीट भी होती है, वहां डण्डे के बल पर वसूली भी होती है। श्रीमन्, उसको समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया उसमें कुछ सफलता भी मिली। लेकिन स्थाई रूप से कागजों पर ही बार-बार शासनादेश जारी हुए। एक बार समाप्त हुआ फिर लगाया गया यह प्रथा चलती रही लेकिन वह समाप्त नहीं हुआ।

श्रीमन्, मैंने इस सदन में 103 प्रस्ताव के माध्यम से यह सवाल उठाया था, माननीय मंत्री जी ने उसमें दिलचस्पी ली और उसको समाप्त करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया। 17 जुलाई, 1993 को और 22-6-98 को फिर जारी हो गया है। श्रीमन्, फिर भी वहां पर रजिया कर की वसूली हो रही है। हमारे सम्मानित मंत्री जी मथुरा भ्रमण पर गये थे मैंने उनके सामने समस्या रखी कि आपने

शासनादेश लागू कर दिया, आपका प्रशासन और आपके ठेकेदार जो गुण्डई कर रहे हैं लोगों को लहूलुहान कर रहे हैं, मार-पीट कर रहे हैं उनसे बचाया जाय हमारे पर्यटन की छवि गिर रही है और धर्मिक स्थल की दुर्दशा उनके द्वारा हो रही है। माननीय मंत्री जी ने तत्काल वहां बैठे हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया और पूछा कि क्या यह जो हो रहा है सही है तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उसे स्वीकार किया, डाक-बंगले पर और भी प्रशासनिक अधिकारी थे जो पंचायतों को डील करते हैं, टाउनों को डील करते हैं उन्होंने इसे स्वीकार किया और कहा कि माननीय मंत्री जी अब आपको इस बात की शिकायत नहीं मिलेगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं।

श्रीमन्, उसके बाद गुरूपूर्णिमा का उत्सव हुआ हमने शासनादेश को कट्टरता के साथ लागू करने पर जोर दिया। प्रशासन, जिलाधिकारी, परगनाधिकारी ने वहां वसूली कर रहे लोगों को थाने में बैठा दिया फिर उसके बाद पुलिस की मिलीभगत से वह छोड़ दिये गये वह उत्पीड़न श्रद्धालुओं पर होता रहा। श्रीमन्, यह हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है मैं आज इस संकल्प के माध्यम से शासन के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि आप शासनादेश लागू कर देते हैं कि वसूली नहीं की जायेगी लेकिन ऐसा नहीं है वहां वसूली हो रही है वह सड़क पर खड़े हो जाते हैं और वहां से गुजरने वाले सब वाहनों से जबरन वसूली हो रही है अड्डा पार्किंग के नाम पर वसूला जाने वाला पैसा कहां खर्च किया जा रहा है, इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। मामला बड़ा गम्भीर है। ऐतिहासिक धार्मिक दृष्टि से जो लोग वहां आते हैं, उनको हम सुख-सुविधा उपलब्ध करायें, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। शासन की भी यही नीति है कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न हो लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पोइया जी, अब संक्षिप्त करें।

श्री अजय कुमार पोइया–

आज इस विषय पर शासन की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश सदन में आये कि जो शासनादेशों का पालन नहीं हो रहा है, अड्डा पार्किंग के नाम पर जबरन वसूली हो रही है, विकास के नाम पर धन उगाही हो रही है, वह बंद होगी। बरसाना–नंदगांव की तरफ से जो लोग आते हैं, उनको नीम गांव के पास लूटा जाता है। राजस्थान से आकर जो गोवर्धन की ओर जाते हैं, उनको लूटा जाता है। सींख–मथुरा मार्ग से जो आते हैं, उनको नानाकुंड के पास लूटा जाता है। मथुरा गोवर्धन मार्ग पर बस अड्डे के पहले लूटा जाता है। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जो कठोर से कठोर कार्यवाही हो सकती है, उसको करने की आवश्यकता है। शासनादेशों का पालन कराने की आवश्यकता है। मैं अपने इस संकल्प के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या करना चाहती है।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, नगर क्षेत्र गोवर्धन द्वारा तत्कालीन राज्यपाल महामहिम श्री एम० चेन्ना रेड्डी के कार्यकाल में वर्ष 1976 में 1/- प्रति यात्री प्रवेश कर लागू किया गया था। बाद में वर्ष 1980 से यह कर 1/- रु० के स्थान पर 25 पैसे प्रति यात्री कर निर्धारित किया गया था। वर्ष 1992 में यात्री कर शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

इस सम्बन्ध में पुनः शासनादेश संख्या–203(जी०आर०)/नौ–9-9 3–47 जनरल/91, दिनांक 17 जुलाई, 1993 के द्वारा इस कर को वसूलने की अनुमति प्रदान की गई। यह कर प्रवेश कर के नाम से मार्च, 1997 तक लगाया जाता रहा। मार्च, 1997 के पश्चात् इस कर को जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से वसूला जाना बंद कर दिया गया और इस प्रकार 1 अप्रैल, 1997 से यात्रीकर नगर पंचायत गोवर्धन/जतीपुरा में नहीं लगाया जा रहा है। नगर पंचायत राधाकुण्ड में भी कोई यात्रीकर नहीं लगाया जाता है।

नगर विकास विभाग के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17 जुलाई, 1993 में नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 128 की उपधारा 7, 8 एवं 13, 14 के संशोधनं के पश्चात् अधिनियम से विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया है । अतः शासनादेश दिनांक 17 जुलाई, 1993 को भी निरस्त करने का शासनादेश दिनांक 22-6-98 को जारी किया जा चुका है । इस प्रकार अब नगर पंचायत गोवर्धन/जतीपुरा एवं नगर पंचायत राधा कुण्ड में कोई प्रवेशकर/यात्रीकर नहीं लगाया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस बात से सहमति जाहिर की कि जिस समय माननीय सदस्य के द्वारा जानकारी दी गई, शासन ने इसकी गम्भीरता और महत्व को समझते हुए, चूंकि यह एक पवित्र स्थान है और लोग वहां श्रद्धा भाव से आते हैं, उनका विश्वास है कि उनकी मनोकामना वहां पूरी होगी मान्यवर, जब सूचना दी गई थी तो उस नाते शासन ने यह निर्णय लिया था जो यात्री कर लगाया जा रहा है उसे समाप्त करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया । जैसा माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, यदि किसी प्रकार किसी भी यात्री के साथ अभद्रता की जा रही है तो इसका संज्ञान कठोरता से लेंगे और यदि किसी भी यात्री के साथ मारपीट की गयी तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि मैं मथुरा गया था और वहां प्रशासन को निर्देश दिया था कि अड्डा कर जो वसूला जा रहा है उसे समाप्त करने के निर्देश भेजे जायेंगे और यात्रियों की सुख-सुविधा का ध्यान रखना हमारा और शासन का कर्तव्य है । यात्रियों को जो सुविधायें शासन द्वारा दी जाती हैं वह उन तक पहुंच सकें और किसी भी व्यक्ति के साथ और जोर जबरदस्ती न हो इस संबंध में यदि कोई शासनादेश का उल्लंघन करता है तो उसको बख्शा नहीं जायेगा । इसलिये माननीय सदस्य की भावना को ध्यान में रखते हुए उस कर को वापस लेने के निर्देश दे दिया था और मैं समझता हूं कि उसका पालन हो रहा होगा । मैं पुनः इसको दिखवा लूंगा । इसलिये माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मंत्री जी दिखवा लें कि वहां बैरियर लगाकर यात्रियों से कर वसूला जा रहा है कि नहीं और यात्रियों की लूट हो रही है या नहीं यदि सरकार उसे रोकने पर कार्यवाही करे तो मैं अपने संकल्प को वापस ले सकता हूं ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां बैरियर लगाकर यदि ऐसा कोई कर वसूला जा रहा होगा तो उसको समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, ठीक है, मैं अपने संकल्प को वापस ले रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि श्री अजय कुमार पोइया द्वारा रखे गये संकल्प को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

श्री मुन्ना सिंह चौहान अनुपस्थित हैं

प्रदेश में विकेन्द्रीकरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु जिला सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति और धनराशि खर्च करने की शक्ति उनमें निहित करने विषयक संकल्प (जारी)

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मान्यवर, "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में विकेन्द्रीकरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु ज़िला सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति और उसके अन्तर्गत धनराशि खर्च करने की शक्ति उनमें निहित की जाय।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि जो संकल्प माननीय डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी ने प्रस्तुत किया है, वह नियोजन से सम्बन्धित है। आज उनकी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक केन्द्र सरकार में हो रही है। उन्होंने आग्रह किया है कि आज इसको न लिया जाये। मान्यवर, यह प्रस्तुत हो ही गया है।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, जारी रहेगा।

प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को कृषि कार्यों के लिए निःशुल्क विद्युत आपूर्ति करने विषयक संकल्प

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रदेश के किसानों को कृषि कार्यों के लिये निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाये।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 19 फरवरी, 1999 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री राम ललित चौधरी की व श्री भगवती प्रसाद सागर और श्री राजाराम पाल की प्रदेश में निरन्तर बढ़ती दलित उत्पीड़न की घटनाओं तथा राजस्व देयों की वसूली के संबंध में जनपद लखीमपुर की सदर तहसील अन्तर्गत राजाराम नामक व्यक्ति की निर्मम पिटाई से हुई मृत्यु के संबंध में है। इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दूसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की छिबरामऊ गर्ल्स इण्टर कालेज, छिबरामऊ के प्रबन्धक तथा प्रधानाध्यापिका व आर० आई० जी० एस०, कानपुर द्वारा सहायक अध्यापिका पद्मा चतुर्वेदी के देयों के भुगतान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में है। इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। तीसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी नगर में धोबियों को गंगाघाट तथा वरुणा नदी में कपड़ा धोने से नगर निगम द्वारा प्रतिबन्धित करने व वैकल्पिक व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में है। इसे केवल

वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । चौथी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की जनपद गाजियाबाद के धौलाना विकास खण्ड अन्तर्गत नालों की सफाई मशीन द्वारा न करायें जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । पांचवीं सूचना श्री मतेश चन्द्र सोनकर की जनपद कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्रान्तर्गत सैनी ग्राम सभा में पेयजल योजना नलकूप के निर्माण में की गयी अनियमितताओं के संबंध में है । इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । छठी सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर के टांडा क्षेत्रान्तर्गत ऐनवा–भड़सारी मार्ग के निर्माण के संबंध में है । इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया गया है । 7वीं सूचना श्री राम नक्षत्र की पुलिस रेडियो विभाग में उप महानिरीक्षक द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं तथा स्थानान्तरण के बावजूद पद न छोड़े जाने के संबंध में है । इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । आठवीं और नवीं सूचनायें जो विजयपाल सिंह और डा० राम बाबू हरित की हैं, उन्हें निरस्त किया गया है ।

अब हम उठते है, 22 फरवरी, 1999 को 11 बजे प्रातः फिर बैठेंगे ।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही स्थगित हो गयी)

(इसके बाद सदन 3 बजकर 1 मिनट पर सोमवार, 22 फरवरी, 1999 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

19 फरवरी, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 116 विधान सभा (181)–1999–815 (डी०टी०पी०) ।